पी. एण्ड एस. बैंक राजभाषा

अंकुर

जुलाई-सितंबर, 2014

पी.एस.बी.

सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक

https://www.psbindia.com Search

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

Punjab & Sind Bank

(राजभाषा विभाग)

आंचलिक कार्यालय कोलकाता

माननीय अतिथिगणों का आंचलिक कार्यालय में स्वागत।

माननीय कार्यकारी निदेशक महोदय सहभागियों को संबोधित करते हुए। साथ में परिलक्षित हैं महाप्रबंधक महोदय श्री वीरेन्द्र गुप्ता जी, आंचलिक प्रबंधक श्री ए. के. सिन्हा, और आं.का. कोलकाता सहायक महाप्रबंधक श्री एस. आर. कटारिया।

माननीय कार्यकारी निदेशक एवं महाप्रबंधक, प्रबंधकों को संबोधित करते हुए।

प्रबंधकों की मीटिंग का एक दृश्य।

महाप्रबंधक महोदय सहभागियों को संबोधित करते हुए।

प्रबंधकों की मीटिंग में आंचलिक प्रबंधक श्री ए. के. सिन्हा एवं शाखा प्रबंधक सहभागिता करते हुए।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाऊस', द्वितीय तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008

मुख्य संरक्षक

श्री जतिन्दरबीर सिंह, *आई.ए.एस.*
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री एम. के. जैन एवं श्री के. के. साँसी
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री आर. सी. नारायण
महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादक व प्रकाशक

श्री राजिंदर सिंह बेवली
मुख्य प्रबंधक
प्रभारी, राजभाषा

संपादक मंडल

श्री कुलदीप सिंह खुराना
वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा

श्री त्रिलोचन सिंह, डॉ. नीरू पाठक
प्रबंधक

श्री सोनी कुमार
राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रेस. 91

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : मोहन प्रिंटिंग प्रेस
5/35ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015 फोन : 98100 87743

सितंबर 2014

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल / विषय-सूची	1
2.	गृह-मंत्री जी का संदेश	2
3.	वित्त-मंत्री जी का संदेश	3
4.	महाप्रबंधक जी का संदेश	4
5.	संपादकीय	5
6.	नेट बैंकिंग एवं मोबाईल बैंकिंग	6-7
7.	क्या आप टेक-सामान्य बुद्धि व्यक्ति हैं	8-9
8.	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	9
9.	प्रौद्योगिकी और आम आदमी	10-12
10.	बैंकिंग उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी महत्व	13
11.	ऋण-व्युत्पत्ति प्रणाली......	14-15
12.	सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी की संभावनाएँ	16-18
13.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000.....	19-20
14.	समीक्षा बैठक	21-23
15.	राजभाषा सम्मेलन	24
16.	संचार-क्रांति और बैंकिंग सेवाएं	25-26
17.	गतिविधियाँ	27
18.	अविमुक्त नगरी- काशी	28-29
19.	ऋण शिविर-मोगा	30-31
20.	नारी का बदलता स्वरूप / राहगीर राहों का	32-33
21.	हिंदी कार्यशाला	34-35
22.	राजभाषा समाचार	36-37
23.	हिंदी दिवस समारोह (प्रधान कार्यालय)	38-39
24.	हिंदी दिवस समारोह (आंचलिक कार्यालय)	40-41
25.	सुरक्षित बैंकिंग के लिए सुरक्षित वेबसाइट....	42-44

सत्यमेव जयते

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

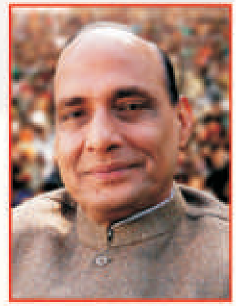

संदेश

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा पर ज़ोर दिया गया था। यह हमारा राष्ट्रीय मत था कि बिना स्वदेशी और स्वभाषा के स्वराज सार्थक सिद्ध नहीं होगा। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं, विद्वानों, मनीषियों एवं महापुरुषों की यह दृढ़ अवधारणा थी कि कोई भी देश अपनी स्वाधीनता को अपनी भाषा के अभाव में मौलिक रूप से परिभाषित नहीं कर सकता। हमें भारत में एक राष्ट्र की भावना सुदृढ़ करनी है तो एक संपर्क भाषा होना भी नितांत आवश्यक है। इस प्रकार हिंदी को राष्ट्रीय स्वाभिमान का अंग एवं प्रेरणा स्रोत के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त समझते हुए भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। हिंदी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के साथ-साथ भारत के संविधान में वर्णित भावनात्मक एकता को सुदृढ़ करने का ज़रिया भी है। यह भाषा देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में भी सहायक रही है।

26 जनवरी, 1950 में लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिंदी होगी एवं इसकी लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया कि वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक तत्वों तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए इसका प्रचार-प्रसार एवं अभिवृद्धि सुनिश्चित करें।

विश्व के सभी प्रमुख विकसित और विकासशील देश अपनी-अपनी भाषाओं में ही अपना सरकारी कामकाज करके समृद्ध और उन्नत हुए हैं। अशिक्षा, बेरोज़गारी और गरीबी से उबरने के लिए आम जनता को सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, इंजीनियरी, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अनेक क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षित करने की अहम आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने समय-समय पर पुरस्कार योजनाएं लागू की है। लेखक और प्रकाशक आधुनिक ज्ञान को सभी भारतीयों तक पहुँचाने में और भारत को एक महान एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। इसी क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है जिससे भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टें राजभाषा विभाग को त्वरित गति से भिजवाना आसान हो गया है। सरकारी कामकाज अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए यह भी आवश्यक है कि भाषा को सरल एवं सहज बनाया जाए ताकि यह सभी के लिए बोधगम्य हो तथा इसका प्रयोग बहु-आयामी हो सके।

मैं केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने कार्यालयों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सार्थक एवं सतत् प्रयास करें। मैं अपील करता हूँ कि इस संबंध में भेजी जाने वाली हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टों में वास्तविक और तथ्यपरक आंकड़े एवं सूचनाएं ही दी जाएं। संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

आइए, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हम यह दृढ़ संकल्प लें कि हम सभी अपना अधिकाधिक कार्य पूरे उत्साह, लगन और गर्व के साथ राजभाषा हिंदी में करेंगे। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हमारे सामूहिक, सार्थक एवं सतत् प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और देश में हिंदी के प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग को नए आयाम देंगे।

जय हिंद!

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2014

राजनाथ सिंह

अरुण जेटली
वित्त, कार्पोरेट कार्य
एवं रक्षा मंत्री
भारत

Arun Jaitley
Minister of Finance, Corporate Affairs
and Defence
India

संदेश

भारत सांस्कृतिक विविधताओं वाला विश्व का एक महान लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमारी नाना भाषाएं लोक और तंत्र के बीच निरंतर एवं सार्थक संवाद का सशक्त माध्यम है। राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में जनमानस की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और शासन को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में हिंदी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाओं की अहम भूमिका है।

14 सितम्बर को हिंदी दिवस के अवसर पर, मैं वित्त - मंत्रालय तथा इसके सभी सम्बद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, बीमा कंपनियों एवं विनियामक निकायों के सभी अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

आइए, हम सब हिंदी के प्रसार को और विस्तृत करने का संकल्प लें।

अरुण जेटली

संदेश

प्रिय साथियो,

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि हमारे बैंक के राजभाषा विभाग ने तिमाही पत्रिका, राजभाषा अंकुर के इस अंक को सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक के रूप में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। मेरे विचार में यह आज के समय की मांग है, क्योंकि बैंकिंग उद्योग अभी एक नियामक दौर से गुज़र रहा है, विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसे समय में सामने आ रही चुनौतियों का सामना पूर्ण विश्वास तथा तत्परता से कर रहे हैं। लगातार बदल रही प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों में पारंपरिक बैंकिंग ढाँचा बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने में सक्षम नहीं था। आज बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास और उससे मिली ग्राहक सेवा/संतुष्टि का आकलन करें तो पता चलता है कि बैंक को यदि ऊँचाईयों पर पहुँचाना है तो आधुनिक तकनीकी अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

यह सूचना प्रौद्योगिकी ही है जो बैंक को अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा करने में सक्षम बना सकी है। बैंक में प्रौद्योगिकी का प्रवेश कंप्यूटर के आने से हुआ और इससे दोतरफ़ा लाभ हुआ, जहाँ एक ओर ग्राहक को फ़ायदा हुआ, वहीं दूसरी ओर स्टाफ़ को भी भारी-भरकम लेजर के पन्ने पलटने से मुक्ति मिली और समय की भी बचत हुई। जो काम कई घंटों में होता था वो कुछ मिन्टों में होने लगा। इसके पश्चात् तो पूर्ण कंप्यूटरीकृत शाखाएं, एटीएम की सुविधा, एस.एम.एस. अलर्ट की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, प्लास्टिक मनी का चलन जैसी तकनीकों का विकास निरंतर होता जा रहा है जिसके कारण ही बैंकिंग - ''कहीं भी, कभी भी'', संभव हो पाई है और इन सभी के द्वारा इस संचार-क्रांति के युग में बैंकिंग परिवेश में पहले से कहीं अधिक सुरक्षित लेन-देन हो पा रहा है। आधुनिक तकनीकी से सभी बैंकों को भी आपस में जोड़ा जा सका है। यह एक बड़ी चुनौती थी - दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधा को पहुँचाना, ख़ासकर उन लोगों तक जोकि इन सुविधाओं से वंचित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रही है।

बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी का स्वर्णिम सफ़र इसी प्रकार चलता रहे इसी कड़ी में हमने राजभाषा अंकुर के माध्यम से ''सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक'' में बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित लेखों को विशेष रूप से समाहित किया है जिसमें हमारे बैंक के सहकर्मियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। आधुनिक तकनीकी में राजभाषा हिंदी की साझेदारी बैंकिंग को सरल तथा ग्राहक सेवा के नए आयाम स्थापित करने में अपनी भूमिका पूरे जोर-शोर से निभा रही है।

मैं आशा करता हूँ कि राजभाषा अंकुर का ''सूचना प्रौद्योगिकी विशेषांक'', न केवल पाठकों को रुचिकर लगेगा बल्कि उनके ज्ञान में भी आशातीत वृद्धि करेगा।

(दीपक मैनी)
महाप्रबंधक (आई.टी.)

संपादकीय

प्रिय साथियों,

वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य और व्यापार का अभिन्न अंग माना जाता है। संचार क्रांति के फलस्वरूप अब इलैक्ट्रॉनिक संचार को भी सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक माना जाने लगा है और इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी भी कहा जाने लगा है। इस प्रकार यदि आज के युग को सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। पूरी की पूरी दुनिया एक मुट्ठी में समेट कर रख दी है, सूचना प्रौद्योगिकी ने।

लेकिन पूर्व में क्या था। अगर कबूतरों के माध्यम से सूचनाएं व संदेश भेजने की बात न भी की जाए तो भी कुशल मंगल संदेश भेजने के लिए पत्र तो आपने भी लिखे होंगे और कई दिनों के इंतजार के बाद ही कुछ जानने/सुनने को मिला होगा। उन दिनों दुःख-सुख की अत्यावश्यक सूचनाएं भी डाकघर जाकर तार के माध्यम से भेजी जाती थीं। लेकिन आज, सब कुछ बदल गया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने इतनी तेज़ी से गति पकड़ी है कि आज व्यक्तिगत सूचनाओं से ले कर बैंकिंग सूचनाओं और यहां तक कि वित्तीय लेखे-जोखे भी पलक झपकते ही हो जाते हैं।

इस अंक में आपको 'नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग', 'प्रौद्योगिकी एवं आम आदमी', 'सूचना क्रांति और बैंकिंग सेवाएं', 'बैंकिंग उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्त्व' आदि लेखों में आपको सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं की सारगर्भित जानकारी प्राप्त होगी।

वर्तमान अंक 'सूचना और प्रौद्योगिकी' की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की एक झलक मात्र है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए बैंक द्वारा अपने उच्चाधिकारियों के लिए 'राजभाषा प्रयोग-आपसी संवाद : सार्थक दिशा' विषय पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसके मुख्य अतिथि वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) डॉ. वेद प्रकाश दूबे थे। पत्रिका में राजभाषा सम्मेलन के छाया चित्रों सहित अन्य कई छाया चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। आशा है पत्रिका का यह अंक आपको पसंद आएगा।

सितंबर का महीना हिंदी गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। बैंक द्वारा भी हिंदी प्रतियोगिताओं, कार्यशालाओं आदि गतिविधियों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

यद्यपि हमने इस अंक में 'सूचना प्रौद्योगिकी' से संबंधित सामग्री को समाहित करने का प्रयास किया है फिर भी राजभाषा को सूचना क्रांति से जोड़कर देखा जाना भी आज के समय की मांग है।

शुभकामनाओं सहित!

आपका,

(आर. सी. नारायण)

महाप्रबंधक (राजभाषा)

नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग - कुछ सावधानियाँ

जितेन्द्र सिंह ढींगरा

आधुनिक युग में इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। बटन दबाते ही आप विश्व की छोटी-बड़ी सभी जानकारियाँ पा सकते हैं। इस आधुनिक सुविधा का लाभ हम बैंकिंग सेक्टर में भी उठा रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए बैंकों द्वारा अपने खाताधारकों को उनके खाते से व्यवहार (लेन-देन) की सुविधा प्रदान की जाती है जिसे संक्षिप्त में 'नेट बैंकिंग' कहा जाता है। बैंक की वेबसाइट पर ग्राहक लॉग-ऑन करता है तथा यूज़र आई.डी., पासवर्ड एवं पिन द्वारा उसकी पहचान की जाती है। इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य उद्देश्य दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैंक के ग्राहक को रुपयों के लेन-देन, ऋण, बिलों के भुगतान आदि की सुविधा प्रदान करना है। ऑनलाइन बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है।

इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ही मोबाइल बैंकिंग का भी दायरा बढ़ा है। बिना बैंक गए और कोई लिखत-पढ़त किए घर बैठे मोबाइल के द्वारा बैंकिंग की सहूलियत ने इसे काफ़ी तेजी से लोकप्रिय बनाया है। सभी बैंक आजकल अपने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

जिस प्रकार सड़क पर वाहनों का आवागमन लगा रहता है उसी प्रकार इंटरनेट पर हर समय सूचनाओं का आवागमन लगा रहता है। हालांकि सभी बैंक नेट बैंकिंग को जहाँ तक संभव है सुरक्षित रूप से उपलब्ध करवाते हैं परंतु फिर भी सूचनाओं को चुराकर ग्राहकों के खातों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। यातायात के संबंध में हिदायत दी जाती है कि ''सावधानी हटी और दुर्घटना घटी'', यह इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के संबंध में भी शत-प्रतिशत लागू होती है। हर सहूलियत के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हुए होते हैं, जिनसे थोड़ा सतर्क रह कर और कुछ सावधानियाँ बरत कर बचा जा सकता है। बात करते हैं ऐसी ही कुछ मूलभूत सावधानियों की, जिनका आपको इंटरनेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए।

इंटरनेट बैंकिंग संबंधी कुछ मूलभूत सावधानियाँ :

- बैंकिंग संबंधी अपनी सभी सूचनाओं को प्राइवेट रखें। अपना पिन या पासवर्ड किसी को न बताएं।
- पासवर्ड ऐसा हो जिसमें अक्षर, नंबर एवं स्पेशल अक्षर (करेक्टर) तीनों हों। पासवर्ड चुनते वक़्त इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके नाम, जन्मतिथि, बच्चे के नाम आदि पर न हो क्योंकि ऐसे पासवर्ड को किसी के लिए तोड़ना (क्रैक करना) आसान होता है। अपना पासवर्ड थोड़े-थोड़े समय बाद बदलते रहें।
- सभी चीजों के लिए एक ही पासवर्ड का प्रयोग न करें। अलग-अलग बैंकों और ई-मेल एकाउंट के लिए अलग-अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करें। बैंक संबंधी अपने किसी भी बेकार दस्तावेज़ को ऐसे ही कूड़ेदान में न फेंके। फेंकने से पहले उसे पूरी तरह फाड़ दें।
- कई बार आपको ऐसे ई-मेल मिल सकते हैं जिनमें आपसे आपका पासवर्ड और पर्सनल जानकारी (इन्फॉर्मेशन) माँगी जा सकती है। कई बार ऐसा धोखा भी होता है कि ये मेल पुलिस या बैंक की तरफ से आए हैं। ऐसे मेल्स में लिंक दिया होता है, जिसे क्लिक करने को कहा जाता है। यह सब भूलकर भी न करें। याद रखें, पुलिस या बैंक को आपसे आपका पासवर्ड या पिन मांगने का कोई हक नहीं है। फिर भी अगर चाहें, तो ऐसे किसी भी मेल की सच्चाई जानने के लिए अपने बैंक में फोन कर लें।
- बैंक की साइट पर सीधे टाइप करके जाएं, इसके लिए किसी लिंक को फॉलो करके जाना सही नहीं है।
- बैंकों की एसएमएस अलर्ट सर्विस का प्रयोग करें। इससे आपको हमेशा पता चलेगा कि आपके अकाउंट से कितना पैसा निकाला गया और कितना पैसा डाला गया।
- अपने अकाउंट और ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री थोड़े-थोड़े दिनों बाद चेक करते रहें।
- किसी भी प्रकार के लेन-देन के बाद अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते से लॉग-आउट अवश्य करें।
- ऑन-लाइन शॉपिंग के लेन-देन की हार्डकॉपी संभाल कर रखें।

- अपने बैंक खाता विवरणी की जानकारी नियमित लेते रहें ताकि आपको अपने खाते की नवीनतम जानकारी मिलती रहे। अपने पासवर्ड को लगातार परिवर्तित करते रहें।
- अपने कंप्यूटर में एंटी वायरस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ज़रूर डालें। ऐसा करने से अवांछित प्रोग्राम कंप्यूटर से दूर रहेंगे, साथ ही लेन-देन करना भी अधिक सुरिक्षत रहेगा।
- बैंक कभी भी अपने खाताधारकों से इस तरह की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने को नहीं कहता है।
- जहाँ तक हो सके, ऑन-लाइन लेन-देन के लिए साइबर कैफे व साझे कंप्यूटर का प्रयोग न करें। यहाँ जानकारी का दुरुपयोग होने का खतरा है। यदि साइबर कैफे या साझे कंप्यूटर का प्रयोग करते भी हैं, तो अपना पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें। इससे आपका पासवर्ड सुरिक्षत रहेगा।
- उपभोक्ता अपने कंप्यूटर सिस्टम को सीधे बंद न करें। प्रायः लोग ब्राउजर बंद कर कंप्यूटर सीधे बंद कर देते हैं जो असुरिक्षत हो सकता है। हमेशा कंप्यूटर सिस्टम ठीक से लॉग ऑफ करें।
- अपने पासवर्ड को किसी कागज़ पर न लिखें। इसे सरलता से हैक किया जा सकता है।
- अपनी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में पावर ऑन पासवर्ड डाल दें ताकि आपके अलावा कोई और उसे खोल न सके। सिस्टम पर स्क्रीन सेवर पासवर्ड डाल दें ताकि कोई सिस्टम का प्रयोग न कर सके।

मोबाइल बैंकिंग संबंधी कुछ मूलभूत सावधानियाँ :

हालांकि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम से काफी सुरक्षित मानी जाती है। फिर भी निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखकर इस की सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है :-

- मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कराने के बाद सबसे पहले यह देखें कि आपके फोन का ऑटो लॉक काम कर रहा है या नहीं। यदि यह एक्टिवेट नहीं है तो सबसे पहले मोबाइल में ऑटो लॉक को चालू करें, ताकि जब फोन प्रयोग में नहीं होगा तो लॉक अपने आप लग जाएगा। लॉक खोलने के लिए पासवर्ड ऐसा चुने, जिसे क्रैक कर पाना मुमकिन न हो। इसके लिए 8 या इससे ज्यादा करेक्टर वाले पासवर्ड में आप करेक्टर (अक्षर), न्यूमेरिकल्स (अंक) और स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग कर स्ट्रांग (दृढ़) पासवर्ड तैयार कर सकते हैं।
- टेक्स्ट मेसेज के द्वारा बैंकिंग संबंधी कोई भी अहम या गोपनीय सूचना मसलन अकाउंट नंबर, पासवर्ड, पैन कार्ड और जन्मतिथि आदि का खुलासा न करे। हैकर्स इन सूचनाओं का इस्तेमाल ही बैंक अकाउंट को हैक करने में कर सकते हैं।
- अपने मोबाइल को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करें। मोबाइल बैंकिंग संबंधी धोखाधड़ी से बचने के लिए यह आपको मदद करेगा।
- अपने स्मार्ट फोन को वायरस से बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जब आप ब्ल्यूटूथ का इस्तेमाल करें, तो उसे स्विच ऑफ कर दें। ब्यूटूथ ऑन रहने से हैकर्स को आपके मोबाइल तक पहुंचने का मौका मिल सकता है।
- मोबाइल में कोई नया ऐप्लीकेशन, गेम, पिक्चर, म्यूजिक या वीडियो आदि डाउनलोड करते समय ध्यान रखें कि जहां से आप डाउनलोड कर रहे हैं, वह साइट भरोसेमंद हो। कई बार ऐसी फाइलों के ज़रिये अक्सर आपका फोन हैकिंग का शिकार हो जाता है या उसमें वायरस भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल से चेन मैसेज को भी डिलीट कर दें।
- मोबाइल को हैकिंग और वायरस से बचाए रखने के लिए लगातार फायरवॉल व सेफ्टी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना चाहिए। मोबाइल फोन बनाने वाली या कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियां इनका समय-समय पर अपडेट वर्जन मुहैया कराती रहती हैं, जिन्हें इंस्टाल करते रहना चाहिए।
- अपने मोबाइल ट्रांजेक्शन को सुरक्षित रखने के लिए रोज़ाना ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करते रहने की आदत बना लेना अच्छा रहता है यह आदत आपके लिए काफ़ी सुरक्षित रहेगी।

नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग के प्रयोग से हिचकिचाने या डरने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो सिर्फ़ सतर्कता एवं सावधानी की। ऊपरलिखित आसान एवं मूलभूत हिदायतों को ध्यान में रखकर नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग सुविधा का पूरा एवं सुरक्षित लाभ उठाया जा सकता है।

- प्र.का. सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग

क्या आप टेक-सामान्य बुद्धि (Tech-Savvy) व्यक्ति हैं

जसलीन कौर भाटिया

जिस प्रकार हवाई जहाज़ के सिर्फ मालिक होने से ये ज़रूरी नहीं कि तुम एक पायलट बन गए उसी प्रकार एक कंप्यूटर का मालिक होना तुम्हें टेक-सामान्य बुद्धि (Tech-Savvy) नहीं बनाता। कंप्यूटर को चालू या बंद करने से अधिक भी जानना जरूरी है ताकि इससे अधिक से अधिक काम लिया जा सके। आपके स्थानीय कंप्यूटर की मरम्मत की दुकान वाला आपको कंप्यूटर में अनपढ़ समझेगा, यदि आपको निम्न प्रकार की मूल बातों के संबंध में नहीं पता है :

1. **हार्डवेयर अंश (Component) :** सीपीयू (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) केवल एक ''बॉक्स'' नहीं है। कंप्यूटर सामान्य बुद्धि होने के नाते यह पहला कदम है कि हार्डवेयर अंशों के अलग-अलग नामों का पता होना चाहिए जैसे माउस, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर्स, कुंजीपटल और वेब कैमरा।

2. **कंप्यूटर सेटअप :** एक सामान्य बुद्धि व्यक्ति जानता है कि यदि कंप्यूटर की सभी तारें अनप्लग हो जाएं तो कंप्यूटर को कैसे सेट-अप किया जा सकता है।

3. **स्थापना प्रक्रिया :** जब कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित (इन्सटॉल्ड) नहीं है, तो यह बेकार है। आपको पता होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ आता है या नया सॉफ्टवेयर बाज़ार से खरीद कर हार्डवेयर ड्राइवर अथवा इंटरनेट से सॉफ्टवेयर व सॉफ्टवेयर अपडेट डाउनलोड करके कैसे स्थापित अथवा विस्थातिप किया जा सकता है।

4. **स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग साक्षरता :** स्प्रेडशीट एवं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आज कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए अनिवार्य है। ये दस्तोवेज़ों को लिखना, प्रपत्र बनाना, संख्याओं की गणना इत्यादि में आपकी मदद करते हैं। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर साक्षर है, जानता है कि मूल बात से परे इन प्रोग्रामों का और अधिक प्रयोग कैसे किया जा सकता है। वह वर्तनी की जांच पृष्ठ के हाशिये परिवर्तन, फॉर्मूले बनाने, लेबल्स मुद्रण करना, चित्र सम्मिलित करना इत्यादि अच्छी तरह जानता है।

5. **फाइलें Navigating :** एक व्यक्ति जो कंप्यूटर सामान्य बुद्धि नहीं है, सभी फाइलें कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर या किसी एक फोल्डर में सहेज कर रखता है। यदि आप कंप्यूटर साक्षर है, तो आप जानते हैं कि कैसे नए फोल्डर्स बनाये व हटाये जा सकते हैं एवं कंप्यूटर से अलग-अलग फोल्डर्स में कैसे नेविगेट किया जाता है। आप यह भी जानते हैं कि कैसे डिलीट, कॉपी पेस्ट किया जाता है एवं फाइल तथा फोल्डर्स को किस प्रकार मूव किया जाता है। आपको यह भी पता है कि इंटरनेट से डानलोड की गई फाइलों को कैसे खोजा जा सकता है।

6. **कुंजी-पटल शॉर्टकट :** केवल माउस के उपयोग की जानकारी, अक्षर या छवि को कॉपी या पेस्ट करना आपको कंप्यूटर सामान्य बुद्धि व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रखता। हर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सामान्य की-बोर्ड आज्ञाएं होती हैं जिनको जानने से आपको 30 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। हां, प्रयोग में लाने के लिए कुछ समय और अभ्यास लगता है परंतु वह आपकी कार्य कुशलता में अकस्मात एक बदलाव ला देता है। उदाहरण के लिए "Ctrl" और एस बटन को एक साथ दबाने से तुरंत एक वर्ड प्रोसेसर आपके द्वारा उस समय तक किए गए कार्य को सेव (Save) कर देता है। इस तरह के कई शॉर्टकट सीख कर आप अपने कार्य को तेज़ी व सुगमता से कर सकते हैं।

7. **इंटरनेट पर ऑन-लाईन होना :** आप जानते होंगे कि घर पर इंटरनेट को कैसे शुरू किया जाता है। परंतु अगर आप कंप्यूटर सामान्य बुद्धि व्यक्ति हो तो आप जानते हो कि कंप्यूटर की आई.पी. और मैक-पता कैसे खोजा जा सकता है एवं जब आप घर पर नहीं हो तो वाई-फाई को खोज कर उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं।

8. **खोज इंजन का उपयोग :** जब आप कंप्यूटर साक्षर हो तो आपको पता है कि एक खोज इंजन का उपयोग कैसे एक अनुसंधान उपकरण के रूप में किया जा सकता है। तब आप शब्द लिखे बॉक्स में केवल शब्द टाइप करके ही नहीं खोजते, आप खोज करने के लिए विशिष्ट OPERATORS,

विशिष्ट वाक्यांशों का बाखूबी प्रयोग करते हैं छवियों को खोजने, समाचार लेख ब्राउज करने तथा विद्वत्तापूर्ण साहित्य को पढ़ने व खोजने में आप पूर्णतया कुशल होते हैं।

9. **वेब ब्राउजर संचालन :** ऑनलाइन होना एक बात है परंतु एक वेब ब्राउजर संचालन का ज्ञान होना अलग बात है। यदि आप कंप्यूटर साक्षर है तो आपको पता है कि कैसे नया टैब खोले, नई विंडो में लिंक कैसे खोले कैसे बुकमार्क्स बनाए एवं व्यवस्थित करें। आप त्रुटि संदेश को समझते हैं और अपने ब्राउजर के कैश और इतिहास को साफ करना जानते हैं।

10. **वायरस और मैलवेयर संरक्षण :** इंटरनेट एक अद्भुत उपकरण है परंतु यह आपके कंप्यूटर को वायरस और मैलवेयर हमलों द्वारा असुरक्षित बना सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत जानकारी पर हमला कर उसे नष्ट कर सकते हैं या चोरी कर सकते हैं। एक कंप्यूटर सामान्य बुद्धि व्यक्ति कंप्यूटर वायरस और मैलवेयर के बारे में जानकारी रखता है व जानता है, ये कैसे कंप्यूटर को नुक्सान पहुंचा सकते हैं। वह सही प्रोग्राम स्कैनिंग के साथ सिस्टम की रक्षा के लिए नियमित रूप से वायरस और मैलवेयर के कंप्यूटर को स्कैन करता है। वह संभावित दुर्भावनापूर्ण ई-मेल संदेशों को पहचानने और सुरक्षित रूप से वेब सर्फ करने के बारे में अच्छी तरह से जानता है।

- प्र.का. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

हमारे देश के द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिन (5 सितंबर) को प्रतिवर्ष "शिक्षक दिवस" के रूप में मनाया जाता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय सामाजिक संस्कृति से ओतप्रोत एक प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, उत्कृष्ट वक्ता और आस्थावान हिंदू विचारक थे। वे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इससे पूर्व वे प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। राजनीति में आने से पूर्व उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपना जन्म दिन अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं अपितु संपूर्ण शिक्षक बिरादरी को सम्मानित किये जाने के उद्देश्य से "शिक्षक दिवस" के रूप में मनाने की इच्छा व्यक्त की थी जिसके परिणामस्वरूप आज भी सारे देश में उनका जन्म दिन "शिक्षक दिवस' के रूप में मनाते हैं।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए।

ब्रिटेन के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में दिए अपने भाषण में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था - मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य 'मानव जाति की मुक्ति' तभी संभव है जब सभी देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। जब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूरोप एवं अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद् उपाधियाँ प्रदान कर उनकी विद्वत्ता का सम्मान किया।

1931 ई. में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को "सर" की उपाधि प्रदान की गई थी। 1952 ई. में सोवियत संघ से आने के बाद डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किये गये। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने 1954 में उन्हें उनकी महान दार्शनिक व शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया।

साभार - विकीपीडिया

प्रौद्योगिकी एवं आम आदमी

नीलम मल्होत्रा

तकनीक़ी की खोज से मानव के जीवन में काफी बदलाव आया है। यह सत्य है कि तकनीक़ी ने विश्व के मानव जीवन को बदल दिया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी ''तकनीक़ी'' के परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा है। प्रौद्योगिकी हर समय हमारे साथ है अर्थात् पेन की निब से लेकर सेल फोन तक।

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता ही है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ आम आदमी कृषि के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। चाहे वह ट्रैक्टर हो या ट्यूबवैल या साधारण से बीज की ड्रील मशीन ही हो। यद्यपि मानसून बहुत प्रभावी कारक है फिर भी प्रौद्योगिकी ने खेती करना और फसल काटना बहुत आसान बना दिया है। आम आदमी से प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाये तो शायद उसे मालूम नहीं होगा परंतु वह प्रौद्योगिकी की देन अर्थात्, मोबाईल फोन, टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर आदि सभी चीजों का प्रयोग करता है।

प्रौद्योगिकी, व्यावहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। कई लोग तकनीक़ी और अभियांत्रिकी शब्द एक दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं। जो लोग प्रौद्योगिकी को व्यवसाय रूप में अपनाते हैं उन्हें अभियंता कहा जाता है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि अभियांत्रिकी का आरम्भ सैनिक अभियांत्रिकी से ही हुआ। इसके बाद सड़कें, घर, किले, पुल आदि के निर्माण संबंधी आवश्यकताओं और समस्याओं को हल करने के लिये सिविल अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव हुआ। औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ यांत्रिक तकनीकी आयी। यांत्रिक तकनीकी के मुख्य उदाहरण कंप्यूटर और मोबाईल फोन हैं।

आम आदमी बशर्ते मोबाईल का प्रयोग केवल 'कॉल करने' या 'कॉल सुनने' के लिए करता हो परंतु कुछ साल पहले जब यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी या यह सुविधा काफी महंगी थी तब जहां प्रत्येक व्यक्ति पब्लिक बूथ से घर पर कभी-कभी फोन करता था वहीं अब वह पल-पल की ख़बर घर पर देता है। आम आदमी बैटरी का प्रयोग करता है तथा उसको यह भी ज्ञात है कि उसका प्रयोग वह पॉवर कट के समय अपने घर में लाईट, पंखे चलाने के लिए भी कर सकता है।

प्रौद्योगिकी एक आम आदमी की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। एक आम आदमी सापेक्ष या परोक्ष रूप से प्रौद्योगिकी का कई रूपों में प्रयोग करता है। कोई किसान, जिसका बैंक में खाता है वह घर बैठे मोबाईल बैंकिंग की सुविधा का लाभ उठाता है। इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करके छोटी-मोटी डीलिंग बिना बैंक गये आसानी से घर पर ही कर लेता है। आजकल बैंक किसानों को क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड देते हैं तो वे उसका प्रयोग एटीएम के माध्यम से करते हैं।

प्रौद्योगिकी की भूमिका एक संगठन के भीतर कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही थी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण वित्तीय क्षेत्र में ऐसी अनंत संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं जिनकी कुछ समय पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज भारतीय बैंकों के सामने लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा भी एक मुख्य कारण है।

ज़्यादातर भारतवासी कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि एक हमारा देश है जहाँ तकनीकी शिक्षा की पहुँच आम आदमी तक ज्यादा नहीं है क्योंकि इसे भारत में अन्य उच्च शिक्षा की तरह अंग्रेज़ी के फंदे में बाँध दिया गया है। <u>उच्च शिक्षा प्राप्त दो प्रतिशत</u> भारतीयों में से कुछ ही लोग इसका नियमित प्रयोग कर रहे हैं। शेष लोग कंप्यूटर की शिक्षा के हकदार इसलिए नहीं हैं क्योंकि हिंदी या भारतीय भाषाओं में काम करने वाले कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं। कितने दुख की बात है कि चीन, कोरिया, जापान इत्यादि देशों में कंप्यूटर तो आया लेकिन ऐसा कंप्यूटर जो कि उनकी अपनी भाषा में काम करने में सक्षम हो। इससे समस्त देशवासियों को समान रूप से लाभ पहुँचा। हमारे देश में यदि आप कुछ नई चीज़ सीखना चाहें तो

पहले आपको अंग्रेज़ी सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमारे देश के आम आदमी को कंप्यूटर में उनकी ज़रूरत के मुताबिक दक्षता हासिल करनी है तो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार हिंदी और अन्य भाषाओं में होना ज़रूरी है। इससे एक तो लोगों को अंग्रेज़ी में दक्ष होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरे यह भारतीय भाषाओं के साहित्यिक एवं रचनात्मक विकास में भी सहायक होगी।

इसका असली फायदा यह होगा कि कंप्यूटर का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाएगा। हर व्यक्ति इंटरनेट के ज़रिए विभिन्न तरह की जानकारियाँ प्राप्त कर सकेगा और वह समस्त विश्व के साथ जुड़ जाएगा। **कंप्यूटर अनभिज्ञ वर्ग समाज का एक बहुत बड़ा अंग है** और सबको अंग्रेज़ी सिखाते-सिखाते कई साल लग जाएंगे। हमारे सामने जीता जागता प्रमाण है कि आज़ादी के 65 साल बाद भी हम अंग्रेज़ी के चलते शत-प्रतिशत साक्षर नहीं हो पाए हैं। इसलिए अंग्रेज़ी के ज़रिए भारतवासियों को साक्षर करना असंभव-सा प्रतीत होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी का भारतीय भाषाओं में प्रसारण भारतीय जनमानस को साक्षर एवं जागृत करने के लिये एक बहुत अच्छा रास्ता हो सकता है। इसका सीधा सा उदाहरण बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हिंदी में विज्ञापन प्रसारित करना है। बहु-राष्ट्रीय कंपनियों का मकसद इसके पीछे हिंदी का प्रेम नहीं बल्कि आम आदमी तक अपने उत्पादों को पहुँचाना है। एक और उदाहरण बॉलीवुड का है। आज बॉलीवुड इतना व्यापक इसलिए है क्योंकि वहाँ हिंदी फ़िल्में बनती हैं न कि अंग्रेज़ी।

भारत में परिवहन व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्वतंत्रता से पहले हमने सोचा भी नहीं होगा कि हम परंपरागत साधन जैसे पालकी, बैल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साईकिल, रिक्शा तथा सार्वजनिक परिवहन में बस, टैक्सी, रेल से आगे बढ़ेंगे। यह प्रौद्योगिकी का ही कमाल है कि आज हम सार्वजनिक परिवहनों के अलावा, हवाई जहाज तथा समुद्री मार्ग के लिए समुद्री जहाजों का प्रयोग करते हैं। लेकिन 24 दिसंबर, 2002 में शुरू हुई दिल्ली मैट्रो ने आपकी सोच, आपका स्टाइल, आपका उठना-बैठना और जिंदगी के प्रति आपकी सोच तक को बदल दिया है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) की केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सरकारी विभागों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को संचालित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यह सरकारी सेवाओं में सुधार, इसके कार्यों में व्यापक पारदर्शिता और विकेन्द्रीकृत आयोजन और प्रबंधन में सुधार सुगम बनाता है। इसके द्वारा चलाई गई कुछ मुख्य परियोजनाओं में बजट का कम्प्यूटरीकरण, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम्प्यूटरीकरण, वाणिज्य का कम्प्यूटरीकरण, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और ज़िला न्यायालय की न्यायालय कम्प्यूटरीकरण परियोजना, कृषि संबंधी विपणन, संसदीय चुनाव आंकड़ा, सम्प्रेषण और विश्लेषण भूमि-रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण और उपयोगिता मेपिंग परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

देश में पिछले तीन दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) सेवाओं का ज़बरदस्त विस्तार हुआ है। शिक्षा, ख़ास तौर पर बच्चों की स्कूली शिक्षा भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम की वाचिक परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किए हैं। पिछली सदी के कमोबेश पारम्परिक श्यामपट्ट तथा खड़िया मिट्टी के दौर से गुजरते हुए इक्कीसवीं सदी के इस दूसरे दशक में पठन-पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। आज की स्कूली कक्षा नवयुगीन साधनों तथा युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैक-बोर्ड की जगह स्मार्ट-बोर्ड ने ली है तथा विविध प्रकार के मार्कर पेन ने खड़िया मिट्टी की छुट्टी कर दी है। इंगित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्टिक का स्थान लेज़र प्वाइंटर ने ले लिया है। स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं। शिक्षा में दृश्य-श्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए टचस्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। संक्षेप में, शिक्षण प्रणाली के तौर तरीकों में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। पारंपरिक युक्तियों का स्थान अब इलैक्ट्रॉनिक युक्तियां लेती जा रही हैं। शिक्षा अब तेजी से ई-शिक्षा की दिशा में अग्रसर हो रही है।

इस प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के तमाम पहलुओं को प्रभावित किया है। जनसंचार माध्यमों में इलैक्ट्रॉनिक माध्यम का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, प्रोजेक्टर तथा बाईस्कोप इत्यादि शामिल हैं। एक समय था जब बाईस्कोप में चलते-फिरते चित्रों के साथ ध्वनि प्रभाव ही बहुत बड़ी ईज़ाद हुआ करती थी। यह तक़रीबन चार दशक पहले की बात है। उस समय हिन्दुस्तान के गांव के बालकों के लिए बाईस्कोप वाले का आना खुशी का सबब हुआ करता था। यह वास्तव में उनके लिए अजूबा था। वे चलते-फिरते चित्रों से अभिभूत हो जाते थे। उसी उम्र वर्ग के आज के बच्चे मोबाइल में मल्टीमीडिया युक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तथा मनोरंजन का लाभ ले रहे हैं।

इलैक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है - ई-मेल। ई-मेल के अंतर्गत कम्प्यूटर में एकत्र सूचनाएँ, आँकड़े, जानकारियाँ एवं तस्वीरें आदि अपने गंतव्य ई-मेल बॉक्स तक विश्व के किसी भी भाग में अल्प समय में पहुंच जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब के अंतर्गत टैक्स्ट, ग्राफ, संगीत, तस्वीर, फिल्म, आदि सभी संग्रहित किए जा सकते हैं तथा इंटरनेट यूज़र्स को सुलभ कराए जा सकते हैं।

इंटरनेट पर किताबें तथा पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करना या उपलब्ध कराना, इलैक्ट्रॉनिक प्रकाशन (ई-प्रकाशन) कहलाता है और इस तरह की पुस्तकें ई-बुक्स कहलाती हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक क़िताबें कागज़ पर छपी किताबों से कहीं अधिक रोचक होती हैं। एक सी.डी. में लगभग 36,000 पृष्ठों तक की सामग्री आ सकती है। सीडी पर अंकित जानकारी को बिना किसी खर्च के ई-मेल के जरिए दुनिया भर में कहीं भी प्रेषित किया जा सकता है।

इक्कीसवीं सदी के इस दौर में चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। पुस्तकालय भी इसके अपवाद नहीं हैं। विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, वैज्ञानिक या आम लोग जानकारी के लिए लाइब्रेरी जाते थे। इंटरनेट ने हर किसी के लिए, कहीं भी, कभी भी, सूचना प्राप्त करना अत्यंत सरल बना दिया है। कोई भी विद्यार्थी या शोधकर्ता अपने प्रोजेक्ट के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसी भी भाषा या विषय पर पुस्तक इन वेबसाइटों पर प्राप्त की जा सकती है।

उच्च शिक्षा को ग्रामीण लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पहल करते हुए ई-यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। इसमें विद्यार्थी को शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी तक जाने की जरूरत नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी स्वयं छात्र तक पहुँच रही है। ई-यूनिवर्सिटी अपने सैटेलाइट 'एजुसेट' के ज़रिए एक क्लिक पर कम्प्यूटर या टेलीविजन के माध्यम से देश के दूर-दराज के छात्रों तक उच्च शिक्षा की सामग्री तथा संसाधन पहुँचा रही है। यदि एक पंचायत के पास डीटीएच (डायरेक्ट टु होम) का एंटीना है, तो उस पंचायत के सभी गांवों के छात्र-छात्राएं टेलीविजन की सहायता से पढ़ाई कर पाएंगे। यदि वहीं इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध हो तो यह उनके लिए और भी लाभप्रद होगा। शिक्षा के साथ परीक्षा भी अब ऑनलाइन हो गयी हैं। परीक्षा का प्रवेशपत्र भी तुरंत जनरेट हो जाता है जिसे चाहें तो तुरंत प्रिंट ले सकते हैं या सेव कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र आवेदक के ई-मेल खाते पर भी प्रेषित हो जाता है। परीक्षा से संबंधित अनुदेश भी समय पर छात्र को मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं अब ई-सर्टिफिकेट भी प्रदान कर रही हैं।

शब्दकोश वास्तव में शब्दों की एक बृहद सूची होती है जिसमें शब्दों के साथ उनकी अर्थवार व्याख्या लिखी जाती है। शब्दकोश एकभाषीय भी हो सकते हैं, द्विभाषीय हो सकते हैं या ये बहुभाषीय भी हो सकते हैं। अलग-अलग कार्य-क्षेत्रों के लिये अलग-अलग शब्दकोश हो सकते हैं, जैसे विज्ञान, गणित, अभियांत्रिकी, चिकित्सा, विधि, के शब्दकोश। गृह-मंत्रालय के राजभाषा विभाग (भारत सरकार) ने सी-डैक के तकनीकी सहयोग से ई-महाशब्दकोश का निर्माण किया है। इसमें आप अंग्रेज़ी का हिंदी पर्याय तथा हिंदी शब्दों का वाक्य प्रयोग देख सकते हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी ने आम आदमी की पूरी जिंदगी ही बदल दी है। वह सभी सुविधाओं का प्रयोग करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है तथा उसे शायद यह याद ही नहीं रहा होगा कि स्वतंत्रता से पहले वह इन सब सुविधाओं के बिना कैसे रह रहा था। आशा है आने वाले दिनों में प्रौद्योगिकी के ख़ज़ाने से और नई खोज से और कई चीज़ों का आविष्कार होगा तथा सभी सुविधाएं जन-जन तक पहुँचेगी।

- प्र.का. सूचना प्रौद्योगिकी विकास विभाग, नई दिल्ली

बैंकिंग उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व

लक्की सुमन

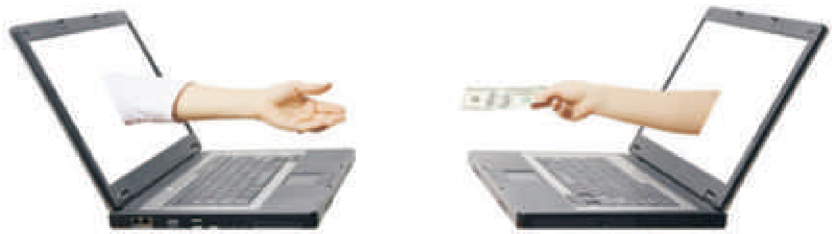

सूचना प्रौद्योगिकी ने आज दुनिया भर में बैंकिंग सेवाओं का पूरी तरह से काया कल्प कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी से जहाँ एक ओर बैंक त्रुटि रहित सेवा प्रदान कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर ग्राहकों के लिए बैंकिंग उत्पादों के अनेक विकल्प भी उपलब्ध हो रहे हैं। नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हर किसी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा की भावना भी नवीन तकनीक को लाने का मुख्य कारण रही है। पूर्व में ग्राहकों को अपनी हर वित्तीय समस्या के समाधान हेतु बैंकों के पास जाना पड़ता था, किंतु वर्तमान परिदृश्य में बैंक अपने ग्राहकों के पास जाने और उनसे संपर्क बनाने में अग्रसर है। आज, ग्राहक अपना हर काम बिल्कुल समय पर करवाना चाहता है और यह भी अपेक्षा करता है कि उसका काम त्रुटि रहित और अच्छी गुणवत्ता वाला भी हो। यही कारण है कि आज सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न रणनीतियाँ अस्तित्व में आई हैं।

वर्ष 1986-1988 के दौरान एम.आई.सी.आर. (MICR) आधारित चेक प्रोसेसिंग के कदम को भारतीय बैंकिंग में टेकनॉलॉजी के पथ पर प्रारंभिक कदमों में से एक माना जाना चाहिए। उसके बाद कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, प्लास्टिक मनी, चैक ट्रंकेशन सिस्टम के भारत में आने से तकनीक के नए युग की शुरुआत हुई है और बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ी है। आरटीजीएस, एनईएफटी और सिबिल (CIBIL) को बैंकिंग

पद्धति में बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जाना चाहिए। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक आंतरिक बैंकिंग तकनीक है जो उसी बैंक की विभिन्न शाखाओं के बीच लेन-देन संभव करती है। आरटीजीएस, एनईएफटी अंतर्बैंक पद्धति है जिससे हम एक बैंक में राशि जमा करवा कर दूसरे बैंक से निकलवा सकते हैं। सिबिल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके प्रयोग से ग्राहक की सारी सूचना केंद्रीय सर्वर पर डाली जा सकती है ताकि गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को कम किया जा सके।

इनके अतिरिक्त मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने बैंकिंग उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया है क्योंकि इनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बिना बैंक जाए अपना पैसा निकलवा सकता है और इसका प्रयोग कर सकता है। चेकों के मामले में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सी.टी.एस.) की शुरुआत की गई है जिससे स्कैनिंग कर के उसकी परिच्छाया को दूसरों बैंक में भेजा जा सकता है जबकि इसे वास्तविक रूप में स्रोत बैंक में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम कह सकते हैं कि मोबाइल एटीएम की चलन से बैंकिंग हमारे दरवाज़े तक ही पहुँच गई है। सूचना प्रौद्योगिकी ने अंधे और अनपढ़ लोगों का भी ख्याल रखा है। अंधे और अनपढ़ लोगों के लिए, बायोमीट्रिक इम्प्रेशन वाले एटीएम को भी अब आरंभ कर दिया गया है।

बैंकिंग उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस तरह की तकनीकों से समाज के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की बेहतरी को निश्चय ही बढ़ावा मिलेगा।

- आंचलिक कार्यालय, पटियाला

ऋण-व्युत्पत्ति प्रणाली (Loan Origination System) : ऋण देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समाधान

निलेश कुमार

ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली एक वित्तीय संस्था की ऋण की सभी ज़रूरतों को पूरा करने का सबसे उपयुक्त स्वचालित समाधान है। ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली के माध्यम से पूरी उधार प्रक्रिया स्वचालित है। जो कि उधारकर्ता के डेटा के निर्माण की शुरुआत के साथ ऋण आवेदन प्रसंस्करण, ऋण के आवश्यक दस्तावेज़ों के इलैट्रॉनिक संग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जा सकता है।

ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली वित्तीय संस्थाओं की निम्नलिखित कामों में मदद करती हैं :-

- ज़ोख़िम कम करना
- आवेदन पर कार्रवाई के समय को घटाना
- ग्राहक-संतुष्टि को बढ़ाना
- प्रभावी रूप से प्रबंधित और नियंत्रित ऋण
- ऋण व्युत्पत्ति और ऋण प्रसंस्करण

इस जटिल ऋण की दुनिया में ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली सरल और सीधी है। आप ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली का उपयोग सीधे प्रोसेसिंग से कर सकते हैं जो बैंक की वेबसाइट या पोर्टल से स्वतः ही ऋण अनुरोध को प्राप्त करते हैं। उधारकर्ता की अधिकतम ऋण पात्रता की वित्तीय जानकारी के लिए क्रेडिट ब्यूरो और जालसाज़ी निवारण केन्द्रों से सीधा जोड़ता है और तत्क्षण प्रविष्ट वित्तीय जानकारी, लगाये गये दस्तावेज़ भंडारण से उधारकर्ता का क्रेडिट इतिहास और विश्वसनीयता की पुष्टि भी ऑनलाइन करता है।

आप उधारकर्ता को आटोमेटिड रूप से ऋण संवितरण करने के लिए ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में एकल/कई संवितरण परिभाषित कर सकते हैं। ऋण आवेदन स्वीकृत होने के बाद ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली स्वतः ही कोर प्रसंस्करण प्रणाली (सीबीएस) के साथ इंटरफेस बना लेता है।

उपभोक्ता ऋण

यह प्रणाली ''वेब, सक्षम'' है तथा भावी उधारकर्ताओं को इसे पूरा करने और इंटरनेट के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।

कॉर्पोरेट ऋण उत्पाद - बदलने की सुविधा

ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली उपयोगकर्ता को व्यापार के नियमों के साथ कई सुविधाएं बनाने के लिए सक्षम बनाती है। ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली इन सुविधाओं को बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से अपने उत्पाद सेटअप करने में उपयोगकर्ता की सहायता करती है।

ब्याज सूचकांक

ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली उपयोगकर्ता को एक ब्याज सूचकांक बनाने और बनाए रखने के सक्षम बनाता है। ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली एक आवधिक आधार पर ब्याज दरों को अद्यतन करने के लिए बाहरी डेटाबेस के साथ इंटरफेसिंग में भी सक्षम बनाता है।

दस्तावेज़ जांचना

जब उपयोगकर्ता ऋण उत्पादों को चयनित करता है तो प्रत्येक ऋण उत्पाद के लिए दस्तावेजों की एक सूची परिभाषित होती है। दस्तावेज़ चेकलिस्ट ऋण आवेदन स्तर पर उपलब्ध होगी तथा उपयोगकर्ता उधारकर्ता से प्राप्त करके उन्हें इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन के साथ संलग्न कर देगा। इसके अतिरिक्त उधारकर्ता/सह उधारकर्ता द्वारा निष्पादित सभी आंतरिक दस्तावेजों ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में संग्रहित किया जा सकता है। ऋण आवेदन की स्वीकृति के बाद इन दस्तावेजों को कहीं से भी प्रिंट किया जा सकता है। यह प्रणाली जमानत सुरक्षा दस्तावेजों की समापन तिथि के बारे में उपयोगकर्ताओं को सचेत करता है।

आंतरिक जोखिम रेटिंग इंजन

ऋण देने वाली संस्था की व्यापार नीति विशिष्ट व्यापार के नियमों में विभाजित हो सकती है और ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में परिभाषित किया जा सकता है। सभी हामीदारी नियम ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में परिभाषित किये जा सकते हैं और ये ऋण उत्पाद/सुविधा, उधारकर्ता खंड, भौगोलिक क्षेत्र या उद्योग प्रकार के लिए विशिष्ट हो सकते हैं।

ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में बनी एक व्यापक आंतरिक जोख़िम रेटिंग इंजन है, उपयोगकर्ता ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में कई जोखिम रेटिंग

मॉडल को परिभाषित करने और विशिष्ट उधारकर्ताओं/ऋण आवेदन करने के लिए उन्हें संलग्न करने में सक्षम हो जाता है। वैकल्पिक रूप से, ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली भी ऐसी क्रिसिल के रूप में बाहरी जोखिम रेटिंग सिस्टम के साथ इंटरफेसिंग के सक्षम बनाता है और निर्णय कर्ताओं को मदद करने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता अनुसार जोखिम परिणाम ले सकते हैं।

स्वीकृत करना या न करना

ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में निर्णय लेने का सबसे आसान काम है।

ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में नकदी प्रवाह ब्यान, परियोजना ऋण के लिए फंड प्रवाह ब्यान, प्रणाली में प्रविष्ट प्रणाली आंकड़ों के आधार पर, सभी आवश्यक अनुपात की तुलनात्मक गणना हो सकती है।

ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में क्रेडिट जोखिम की समरी भी उपलब्ध है।

बिजनेस प्रोसेस के माध्यम से प्रवाह

एक ऋण प्रसंस्करण का चक्र आम तौर पर एक से दूसरे समीक्षक से जानकारी पर आधारित है। जब ऋण का मूल्य बढ़ता है तो कार्यप्रवाह और अधिक जटिल हो जाता है। अतीत में, आवेदन की ट्रांसपोर्टिंग और उपयोगकर्ताओं के बीच दस्तावेजों का समर्थन ऋण देने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता था। ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली के माध्यम से पूरी जानकारी का प्रवाह इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है।

इंस्टेंट रिपोर्ट जनरेशन

ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली में संग्रहीत डेटा से कार्यात्मक उपयोगकर्ताओं के साथ ही आईटी विभाग की कई रिपोर्टें और उनके अनुपालन रिपोर्ट जनरेट हो सकती है। वे दिन निकल गये हैं जब भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुपालन रिपोर्ट के लिए या संसद में एक जवाब के लिए बैंक अधिकारियों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी।

ऋण-व्युत्पत्ति प्रणाली से विश्लेषण

निर्णयों के निष्पादन के लिए अत्यंत विश्लेषित जानकारी की आवश्यकता होती है। आपका निर्णय निश्चित रूप से आपकी संस्था पर भी प्रभाव डालता है।

क्या आप अपने परिचालन कर्मचारियों की वजह से व्यापार में घाटा सह रहे हैं?यदि ऐसा है तो क्या आपको पता है कि किन कर्मचारियों की वजह से ऐसा हो रहा है?

कई ऐसी स्थितियां हैं जिनसे आपको पता नहीं लगेगा कि आपके फैसले से आपके उत्पादों और ग्राहकों पर असर पड़ सकता है। लेकिन ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली का उपयोग करने से इस तरह की स्थिति आने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि यह पिछले डेटा का विश्लेषण करता है चाहे वह ऋण डेटा, मूल्य निर्धारण, ऋण लेने के खंड, संगठनात्मक इकाई, या इनमें से कोई भी हो।

वित्तीय दुनिया में ऋण व्युत्पत्ति प्रणाली निर्णयकर्ताओं और संस्था के लिए एक वरदान साबित हो सकती है।

- प्र.का. आई.टी. विभाग, नई दिल्ली

पी.एस.बी

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
मेरा खाता भाग्य विधाता

हमारे बैंक में खाता खोले
और
अपने जीवन के अनुभव
को बदलें

अतिरिक्त सुविधाएं
• रूपे डेबिट कार्ड के साथ इनबिल्ट ₹1 लाख की दुर्घटना बीमा सुविधा प्राप्त करें
• अपने खाते में अपना यूआईडी नंबर जोड़ें और सरकार से लाभ उठाएं

सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी की संभावनाएं

कुलदीप सिंह खुराना

मशीनीकरण, कंप्यूटरीकरण, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रॉनिक साधनों ने बैंकिंग क्षेत्र में निःसंदेह काफी प्रगति की है। आने वाले समय में बहु-आयामी बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक ही प्रतियोगिता में टिक पाएंगे। कंप्यूटर इलैक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है। आज के इस इलैक्ट्रॉनिक युग में कंप्यूटर एक बहु-आयामी उपकरण के रूप में सामने आ रहा है। कार्यक्षमता में वृद्धि लाने गुणवत्ता सुधार लाने तथा समय की बचत को देखते हुए इसका प्रयोग वांछनीय ही नहीं अपितु अनिवार्य भी बन गया है। कंप्यूटर पर आज देश की किसी भी भाषा में काम करना संभव है। अभी लोगों के मन में यह भ्रम है कि देवनागरी लिपि में नवीनतम इलैक्ट्रॉनिक/यांत्रिक सुविधाओं का अभाव है। यह कथन वर्तमान स्थिति का पूर्णतः सही आकलन नहीं हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा है जिसका मूल कारण उपलब्ध सुविधाओं के ज्ञान का अभाव है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी में काम करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल हैं, का द्विभाषी होना अनिवार्य है जिसका अर्थ है कि जो भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदा जाए, उसमें हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में एक साथ काम करने की सुविधा होनी चाहिए।

बैंक कंप्यूटरीकरण की अवधारणा को व्यवहारिक रूप देने का कार्य वर्ष 1980-81 के बाद प्रारम्भ हो गया था। रंगराजन समिति वर्ष 1989 में बनाई गई। समिति ने तय किया कि कंप्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य ग्राहक-सेवा, आंतरिक रख-रखाव व्यवस्था, निर्णय लेने और उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार लाना है। इस समिति की रिपोर्ट में बैंकों में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार किया गया।

आज बाज़ार बैंकिंग की कार्य-पद्धति पहले से स्थापित परंपराओं से कुछ भिन्न है। इन कार्यों के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क पर निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इंटरनेट, ई-मेल, ई-कॉमर्स आदि के माध्यम से बैंकों और व्यापार जगत का बहुत सा काम किया जा रहा है। अब प्रौद्योगिकी के माध्यम से कुछ बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए 'ए.टी.एम.', 'टेलिबैंकिंग', 'होम बैंकिंग', 'कभी भी कहीं भी बैंकिंग' जैसी नवोन्मेषी सुविधाएं प्रारम्भ की गई हैं।

तकनीक़ कोई भी हो, भले ही वह कंप्यूटर हो या मोबाइल, उपभोक्ता के लिए है, उपभोक्ता तकनीक़ के लिए नहीं। कोई भी तकनीक़ तभी सफल हो सकती है जब वह उपभोक्ता के अनुरूप अपने-आप को ढाले। तकनीक़ तो एक माध्यम है। वह हमें निर्देशित नहीं करती बल्कि हमसे दिशा-निर्देश प्राप्त करती है और हमारे द्वारा बताई गई सीमाओं में रहते हुए वह कितनी

कुशलता के साथ हमारा काम आसान, सुव्यवस्थित बनाने में हमारी मदद करती है।

सूचना-क्रांति का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव राजभाषा नियमों के अनुपालन पर पड़ा है चूंकि सभी प्रोग्राम मूलतः अंग्रेज़ी में ही तैयार किये जाते हैं। अब जब हिंदी के कंप्यूटरों का इस्तेमाल बढ़ा है, तो इसका साफ़्टवेयर विकसित करने की ज़रूरत महसूस हुई।

जब भी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में यंत्रीकरण की बात होती है तो निःसंदेह कंप्यूटर को ही आधुनिक युग का बहु-आयामी उपकरण माना जाता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि यह उपकरण भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अधीन जारी राजभाषा नियमों के उपबंधों का पालन करने में कितना ख़रा उतरता है।

हिंदी के संदर्भ में सूचना तकनीक की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। **अब तक हम कंप्यूटिंग और आई.टी. को बुनियादी तौर पर उत्पाद आधारित मानते रहे हैं। कम्प्यूटिंग को अब सेवा आधारित व्यवस्था, यानी सर्विस ओरिएँटिड आई.टी. की ओर भी ध्यान देना होगा।** सरकारी सेवाओं का कंप्यूटरीकरण करना और उन्हें हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना, आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

अब हिंदी में इंटरनेट आधारित या साफ्टवेयर आधारित परियोजना लाना फायदे का सौदा है। चाहे 'याहू' हो, चाहे 'गूगल' या फिर 'एम.एस.एन.' सब हिंदी में आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ़्ट के डेस्कटॉप उत्पाद हिंदी में आ गए हैं, आई.बी.एम. से लेकर माइक्रोसिस्टम और ओरेकल तक ने हिंदी को अपनाना शुरू कर दिया है। 'लिनक्स' और 'मैकिन्टोश' पर भी हिंदी आ गई है।

दिलचस्प संयोग है कि यूनिकोड नामक एनकोडिंग प्रणाली, जिसने हिंदी को अंग्रेज़ी के समान ही सशक्त बना दिया है। यूनिकोड के माध्यम से पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी पर अंग्रेज़ी की अनिवार्य निर्भरता से मुक्ति की संभावनाएं दिख रही हैं क्योंकि यह पद्धति कंप्यूटर को विश्व की सभी भाषाओं में काम करने में सक्षम बना सकती है।

यूनिकोड एक 16 बिट की एनकोडिंग व्यवस्था है, यानी इसमें हर संकेत को संग्रह और अभिव्यक्त करने के लिए सोलह बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल होता है। इस एनकोडिंग से किसी भी अक्षर, अंक या संकेत को सोलह अंकों के अद्वितीय संयोजन के रूप में सहेज कर रखा जा सकता है। यूनिकोड पद्धति आने के बाद लोगों की धारणा में बदलाव आ गया है।

यूनिकोड वास्तव में एक मानक कोड है जिसमें भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं के लिए कोड निर्धारित किये गये हैं। चाहे कोई भी प्लेटफार्म हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी भाषा हो, इसमें प्रत्येक अक्षर के लिए एक अलग कोड प्रदान किया गया है। इस व्यवस्था में सभी भाषाएं बराबर का दर्जा रखती हैं। आज यूनिकोड आधारित कंप्यूटर विश्व की हर भाषा से परिचित है। बशर्ते ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी व्यवस्था हो। सामान्य एप्लिकेशनों में हिंदी में काम करने के लिए यूनिकोड फॉण्ट का होना ही पर्याप्त नहीं है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का सपोर्ट इनेबल करना अनिवार्य है। यूनिकोड आधारित वेबसाइटों को देखने के लिए संबंधित फॉन्ट होने अनिवार्य नहीं हैं। उन्हें तो विश्व में किसी भी स्थान पर बिना फॉण्ट के देखा जा सकता है।

इंटरनेट पर भी अब यूनिकोड का मानक ख़ूब लोकप्रिय हो रहा है और धीरे-धीरे लोग पुरानी एनकोडिंग व्यवस्था की सीमाओं से निकलकर यूनिकोड अपनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 'गूगल', 'विकीपीडिया', 'एमएसएन' आदि इसके उदाहरण हैं जिनमें हिंदी में काम करना उसी तरह संभव है जैसे कि अंग्रेज़ी में। गूगल का इंटरफेस हिंदी एवं अन्य दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। ई-मेल की बात करें तो वैसे तो

वर्तमान अधिकतर ई-मेल सेवाएँ यूनिकोड का समर्थन करती हैं परंतु गूगल की जी-मेल हिंदी के लिए सर्वोत्तम है। जी-मेल में हिंदी में मेल लिखने हेतु गूगल ट्रांसलिट्रेशन टूल भी इनबिल्ट हैं।

यूनिकोड के आगमन के बाद हिंदी वेबसाइटों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पहले जहाँ अधिकतर हिंदी वेबसाइटें नॉन यूनिकोड फॉण्टों में होने से अंजाम तक नहीं पहुँच पाती थीं, वहीं अब नयी वेबसाइटों के अतिरिक्त अधिकतर पुरानी साइटें भी यूनिकोड हो चुकी हैं। यूनिकोड में बनी वेबसाइटें बिना फॉण्ट के झमेले के पढ़ी जा सकती हैं तथा ये सर्च इंजनों द्वारा भी सूचीबद्ध की जाती हैं। आज अधिकतर हिंदी समाचार पत्रों की वेबसाइटें हैं। इसके अतिरिक्त अनेक मनोरंजन पोर्टल, ई-कॉमर्स वेबसाईटें आदि भी हिंदी में हैं। दूसरी और विकिपीडिया, विकिट्रैवल, भारतकोश आदि ज्ञानवर्धक विश्वकोश भी हैं।

इन्स्क्रिप्ट ले-आऊट एक टच प्रणाली है। इसका विकास 'सी-डेक' ने किया है। यह विधि भारतीय भाषाओं में टाइपिंग की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि हैं। इस विधि से कंप्यूटर पर सर्वाधिक गति से टाइप किया जा सकता है। यह भारतीय भाषाओं के ध्वन्यात्मक गुण के लॉजिक पर आधारित है। इसे इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि टाइपिंग करने हेतु कम से कम कुंजियां दबानी पड़ें, इसी कारण इससे कंप्यूटर पर तीव्र गति से हिंदी तथा अन्य विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं में टाइप किया जा सकता है।

फॉण्ट आधारित हिंदी को यूनिकोड हिंदी में बदलना अनिवार्य हो गया है क्योंकि हिंदी या भारतीय भाषाओं के लिए जो फॉण्ट बनाए गए हैं वे ग़ैर-मानक स्वरूप के हैं तथा उनमें आपस में कोई ताल-मेल नहीं है, इसलिए उन्हें किसी दूसरे कंप्यूटर पर पढ़ना तथा इनका प्रयोग कर तैयार किए गए डाटा का आदान-प्रदान भी ठीक से नहीं हो सकता। अगर कोई डाटा किसी जगह पर किसी ऐसे फॉण्ट का प्रयोग करके तैयार किया गया है जो यूनिकोड आधारित नहीं है तो माइक्रोसॉफ़्ट के टिबिल तथा अन्य सुविधा, परिवर्तन नाम के टूल आदि एप्लीकेशन का प्रयोग करके उसे यूनिकोड में बदला जा सकता है।

आज भी हम जब आई.टी. के क्षेत्र में हिंदी की प्रगति की बात करते हैं तो हिंदी वेबसाइटों और हिंदी के डैस्कटॉप, एप्लीकेशनों आदि का गुणगान कर खुश हो लेते हैं। यूनिकोड के रूप में डाटा सहेजना, हिंदी के दस्तावेज टाइप कर प्रिंट आउट लेना और इंटरनेट पर हिंदी में ख़बरें या साहित्य पढ़ लेना मात्र ही प्रौद्योगिकी नहीं है। यह तो प्रौद्योगिकी के थोड़े से अनुप्रयोग हैं। यह हमारा गंतव्य नहीं है, यह तो सफ़र की मात्र शुरूआत है।

- प्र.का. राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

रचनाकारों से निवेदन

बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही तिमाही पत्रिका ''राजभाषा अंकुर'' का आगामी अंक अक्तूबर-दिसंबर 2014 'ग्राहक सेवा विशेषांक'' के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। रचनाकारों से निवेदन है कि विशेषांक में प्रकाशन हेतु लेख व ज्ञानपरक जानकारी भिजवाने की व्यवस्था करे। कृपया रचना भेजते समय रचना के साथ अपना नाम, पदनाम, शाखा, कार्यालय का पूरा पता, मोबाईल नंबर तथा अपने बैंक खाते की 14 अंकों की खाता संख्या का भी अवश्य उल्लेख करें। कृपया भेजी गई रचना की मौलिकता का प्रमाण-पत्र भी साथ भेजें।

महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
राजभाषा अंकुर

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 : प्रासंगिकता एवं आवश्यक प्रावधान

उत्तम कुमार शुक्ल

पृष्ठभूमि एवं प्रासंगिकता

प्रौद्योगिकी का उपयोग सूचनाओं के आदान-प्रदान में करना सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे इंटरनेट, ई-मेल, फैक्स, मोबाइल का उपयोग करना आदि।

यह एक ऐसा अधिनियम है। जो इलैक्ट्रॉनिक डाटा अंतर्बदलाव एवं अन्य सम्प्रेषण माध्यम द्वारा सूचना के अंतरण, जिसमें पेपर मुक्त सम्प्रेषण एवं संग्रह माध्यम के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, को इलैक्ट्रॉनिक व्यापार पहचान देता है जिसके द्वारा दस्तावेज़ की इलैक्ट्रॉनिक फाईलिंग सरकारी एजेंसियों में की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकृत प्रस्ताव संख्या A/RES/51/162/ द्वारा दिनांक 30 जनवरी, 1997 को इलैक्ट्रॉनिक व्यापार हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के मॉडल विधि को अंगीकृत किया। उपरोक्त स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेपर मुक्त संप्रेषण एवं संग्रह में एकरूपता लाने हेतु सभी राज्य सरकारों को उपरोक्त मॉडल को अपने-अपने राज्यों की विधियों के निर्माण एवं संशोधन करते समय अपनाने की सलाह दी है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के उपरोक्त स्वीकृत प्रस्ताव को प्रभाव देने के लिए एवं विश्वसनीय इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ द्वारा सरकारी सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए भारतीय संसद ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को अधिनियमित कर 9 जून, 2000 को अधिसूचित किया। इस अधिनियम द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर संशोधित, इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को विधिक मान्यता दी गयी है।

इस अधिनियम को प्रभावी बनाने एवं सार्थकता हेतु विभिन्न भारतीय विधियों जैसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट एवं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

परंतु यह अधिनियम निम्नलिखित पर प्रभावी नहीं है :-

1. परक्राम्य लिखत
2. पावर ऑफ एटॉर्नी
3. ट्रस्ट
4. वसीयत
5. बिक्री अथवा अचल संपत्ति के अंतरण की संविदा या उस संपत्ति पर कोई हित
6. ऐसे दस्तावेज़ या अंतरण जिन्हें केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे।

इस अधिनियम को वर्तमान परिदृश्य की आवश्यकता के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008, अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी, 2009 द्वारा संशोधित किया गया है।

दांडिक प्रावधान :-

अधिनियम में सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संबंधित प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 सहित निम्नलिखित हैं :

संख्या	धारा	विवरण	दण्ड
1.	66	कम्प्यूटर या कम्प्यूटर सिस्टस को क्षति पहुँचाना।	3 साल की कैद अथवा 5 लाख तक जुर्माना अथवा दोनों।
2.	66ए	व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सामाजिक सद्भाव, शांति को नुकसान पहुँचाने वाले कृत्य।	3 साल की कैद एवं जुर्माना।
3.	66बी	चोरी का कम्प्यूटर या कम्प्यूटर उपकरण लेना अथवा रखना।	3 साल की कैद अथवा 1 लाख तक जुर्माना अथवा दोनों।

संख्या	धारा	विवरण	दण्ड
4.	66सी	कपट पूर्वक अथवा बेईमानी से इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या पासवर्ड का उपयोग करना।	3 साल की क़ैद अथवा 1 लाख तक जुर्माना।
5.	66डी	कपट पूर्वक मिथ्यारोपण द्वारा इलैक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना।	3 साल की क़ैद अथवा 1 लाख तक जुर्माना।
6.	66ई	किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करते हुए, बिना सहमति उसके निजी भाग की फोटो खींचना, प्रकाशित करना अथवा भेजना।	3 साल की क़ैद अथवा 2 लाख तक जुर्माना अथवा दोनों।
7.	66एफ	देश की एकता, अखंडता तथा सुरक्षा को क्षति पहुँचाने वाले कृत्य, समाज में भय फैलाना अथवा कम्प्यूटर संक्रमण फैलाना। उपरोक्त कृत्य साइबर आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है।	आजीवन कारावास।
8.	67	उत्तेजक सामग्री का प्रकाशन एवं भेजना।	3 साल की क़ैद अथवा 5 लाख तक जुर्माना। यह अपराध दोबारा करने पर 5 साल की कैद अथवा 10 लाख तक जुर्माना।
9.	67ए	अश्लील कृत्य का प्रकाशन एवं भेजना।	5 साल की क़ैद अथवा 10 लाख तक जुर्माना। यह अपराध दोबारा करने पर 7 साल की कैद अथवा 10 लाख तक जुर्माना।
10.	67बी	बच्चों को अश्लील कृत्य में दर्शाना।	5 साल की क़ैद अथवा 10 लाख तक जुर्माना। यह अपराध दोबारा करने पर 7 साल की कैद अथवा 10 लाख तक जुर्माना।
11.	67सी	यह प्रावधान है कि मध्यस्थ, सूचना को केन्द्र सरकार द्वारा विहित समय तक सुरक्षित रखे। ऐसा न करने पर वह दंड का भागीदार होता है।	3 साल की क़ैद एवं जुर्माना।

किसी भी अधिनियम का उद्देश्य विषय का समुचित रूप से वर्णन करना होता है। यह आवश्यक है कि अधिनियम का उचित पालन किया जाए अन्यथा दुरुपयोग करने पर दंड का भागीदार होना पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी को विस्तार व नया आयाम देने के लिए बनाया गया है। ज़रूरत है तो बस, इसके युक्तियुक्त उपयोग और अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की।

प्र.का. सामान्य प्रशासन विभाग,
नई दिल्ली

स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़ में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शाखा प्रभारियों को संबोधित करते हुए।

स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़ में प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए एक दिवसीय सेमीनार में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैंक के उच्चाधिकारियों व नव-नियुक्त प्रोबेशनरी अधिकारी।

भाई वीर सिंह साहित्य सदन, नई दिल्ली में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय नव नियुक्त प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित करते हुए।

आंचलिक कार्यालय, बरेली में बैंक के अ.प्र.नि. अंचल के स्टाफ को संबोधित करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय आंचलिक कार्यालय, बरेली के अधीन शाखाओं में कार्यरत शाखा प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय के कर-कमलों द्वारा प्रदत्त वर्ष 2013-14 के

राजभाषा शील्ड पुरस्कार

प्रधान कार्यालय, मानव संसाधन विकास विभाग।

प्रधान कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

आंचलिक कार्यालय, कोलकाता।

आंचलिक कार्यालय, देहरादून।

आंचलिक कार्यालय, पटियाला।

प्र.का. राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित

19वाँ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन

भावभीनी विदाई

डॉ. चरनजीत सिंह, मुख्य प्रबंधक एवं प्रभारी, प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग को उनकी सेवानिवृत्ति पर समस्त राजभाषा परिवार की ओर से भावभीनी विदाई।

संचार-क्रांति और बैंकिंग सेवाएं

डॉ. चरनजीत सिंह

बैंकिंग के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनेकानेक कारकों ने अपना-अपना सक्रिय प्रभाव डाला है। आज बैंकिंग मात्र धन के विनिमय का साधन ही नहीं, बल्कि सूचना युग में सेटेलाईट और संपूर्ण टैली-संदेश प्रणाली से आई क्रांति ने समूची बैंकिंग व्यवस्था में भारी बदलाव ला दिया है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब बैंकिंग सेवाएं कंप्यूटर के ज़रिए शुरू नहीं हुई थीं, तब ऐसा लगता था कि कंप्यूटर के आने से बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या फिर कंप्यूटर के आ जाने से बैंकों में रोज़गार के अवसर कम हो जाएंगे, परंतु आज कंप्यूटर के प्रयोग ने ग्राहक के द्वार पर ही बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में तथा रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाने के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है।

आज का युग वैश्वीकरण (ग्लोबलाईजेशन) का युग है। संचार-क्रांति से आज पूरा विश्व एक मुट्ठी में सिमट कर रह गया है। सूचना के क्षेत्र में आई इस क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल कर मानो एक दूसरे के समीप ला दिया है। सूचना-क्रांति की अवधारणा ने विश्व के सभी भागों, स्थानों और व्यक्तियों के संपूर्ण विकास में उत्साहजनक वृद्धि को प्रदर्शित किया है। जिस कारण न केवल बैंकिंग बल्कि संपूर्ण सेवा-संस्थानों ने संचार-क्रांति का स्वागत तो किया ही, साथ ही स्वयं को इसके ढांचे में ढालने की तैयारी व प्रक्रिया भी आरंभ कर दी। समस्त सेवा-संगठनों में बैंकिंग क्षेत्र ने इस प्रभाव को सबसे अधिक कबूला, क्योंकि वे आने वाले समय की नब्ज़ पहचान चुके थे। इसीलिए सेवा-संगठनों में बैंकिंग क्षेत्र ने पहल दिखाते हुए सिद्ध कर दिया कि वे अपने ग्राहकों को प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने साथ लेकर चलेंगे।

यद्यपि आज बैंकिंग क्षेत्र में भी गला-काट प्रतिस्पर्धा चरम पर है फिर भी कोई भी बैंक इस होड़ और दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। आज हर बैंक अपने ग्राहकों को उत्तम सेवा देना चाहता है, ताकि वो अपने व्यवसाय को अधिक से अधिक बढ़ा सके। इसके लिए संचार युग में आई इस क्रांति का भरपूर लाभ लेने के लिए आज हर बैंक न केवल लालायित है बल्कि किसी भी कीमत पर वे अपने ग्राहकों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहता कि उसके पास स्रोत या साधनों की कमी हैं।

एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार आने वाला समय बैंकों के लिए लैज़र बैंकिंग या बंद कमरे में धन के लेन-देन का साधन मात्र न रह कर, बैंकों को किसी कुशल व्यापारी की तरह अपने उत्पाद (प्रॉड्क्टस) बेचने के लिए न केवल ग्राहक के द्वार तक जाना होगा, बल्कि प्रॉड्क्टस की तमाम ख़ूबियों को भी ग्राहकों तक सम्प्रेषित करना होगा।

पिछले दो-तीन दशकों की बैंकिंग-सेवा और आज की बैंकिंग सेवा पर दृष्टिपात करें तो स्वतः ही यह बात सही प्रतीत होती दिखती है। आज यदि सत्तर-अस्सी के दशक की बैंकिंग पर दृष्टिपात करें तो संचार-क्रांति के अभाव में पलती व फलती-फूलती बैंकिंग निजी व आपसी संबंधों व सम्प्रेषण की बैंकिंग है। जहाँ बैंक प्रबंधन को लगता था कि वे ग्राहक के साथ आत्मीयता भरे संबंध व ठीक ताल-मेल बिठा कर ही बैंकिंग कर सकते हैं। इसलिए कुछ बैंकों ने (Only Banking) के स्थान पर आपसी रिश्तों को प्राथमिकता देते हुए बैंकिंग करने को पहल दी। हालांकि इस प्रकार की बैंकिंग से भले ही जमा-राशियों में वृद्धि हुई हो परंतु कालांतर एन.पी.ए. में भी बढ़ोतरी होती चली गई। राष्ट्रीयकरण से पूर्व लगभग सभी बैंक इस दुर्गति का शिकार हुए और राष्ट्रीयकरण के बाद भी काफी समय तक इस दलदल से उभर नहीं पाए।

कंप्यूटरीकरण ने ग्राहकों के लेन-देन की प्रणाली पर अनुकूल प्रभाव डाला, क्योंकि इस प्रणाली ने उच्चस्तरीय पारदर्शिता का कार्य किया। कंप्यूटर की कार्य-प्रणाली व अद्भुत स्मरण-शक्ति ने ग्राहक और बैंक के बीच एक नया रिश्ता कायम कर लिया और ग्राहक के समस्त बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित कर दिया। अब ग्राहक और बैंकर्स के बीच का रिश्ता आपसी संबंधों या लिहाज़दारी का न रह कर मात्र व्यावसायिक रिश्ता बन कर रह गया। बैंकिंग संबंधी सभी लेन-देन की प्रविष्टियाँ, ब्याज-दर तथा खातों की विवरणियों में एकसूत्रता व पारदर्शिता आने से बैंकिंग-सेवा के स्वरूप में भारी बदलाव आ गया।

आइए देखें, संचार-क्रांति से सेवा-संगठनों (विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र) में क्या-क्या मुख्य बदलाव आए हैं :

- मनुष्य के पास समय और ऊर्जा सीमित है। उसे अपना कार्य, कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ दूसरों से बाँटनी पड़ती है। संचार-क्रांति और कंप्यूटर के आविर्भाव से उसके समय और ऊर्जा की भारी बचत हुई है।
- आज के व्यवहारिक युग में आज व्यक्ति के पास समय के साथ स्थान की भी भारी कमी देखने में आ रही है। जहाँ कंप्यूटर के आने से पूर्व पुराने बही-खाते, फाईलें, रजिस्टर व अन्य रिकार्ड रखने व संभालने के लिए भारी-भरकम कैबिनेट, अलमारियाँ व दराज़ों की आवश्यकता होती थी, आज इस सब ताम-झाम के लिए हार्ड-डिस्क या पैन ड्राईव में सारा रिकार्ड व डाटा सिमट के रह गया है।
- किसी भी रिकार्ड को संभालने के लिए कार्बन कॉपी, फोटोस्टेट कॉपी को संभाल कर रखना किसी भी प्रबंधन वर्ग के लिए सिरदर्दी का काम था, कंप्यूटर में एक बार डाटा डाला तो निश्चिंतता ही निश्चिंतता।
- किसी भी रिकॉर्ड या डाटा के क्षेत्र वार या तालिका अनुसार सूचना एकत्रित करना, बड़ी से बड़ी संख्याओं को घटाना, जमा करना कंप्यूटर के लिए मिनटों का कार्य हैं।
- दैनिक कार्यों के अतिरिक्त प्रशासनिक स्तर पर अनेकानेक समस्याओं को सुलझाने में कंप्यूटर ने नई क्रांति ला दी है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज संचार क्रांति की बदौलत भारी बदलाव आया है। आज गाँव में रहने वाला छोटे से छोटा किसान भी संचार क्रांति की बजह से बैंकों से जुड़ कर लाभान्वित हो रहा है।

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग
नई दिल्ली

काम की उन मदों की सूची, जिन्हें कम्प्यूटर पर हिंदी में किया जा सकता है।

1. पत्राचार।
2. प्रबंध सूचना प्रणाली की विभिन्न मदें।
3. बोर्ड/नेम प्लेट्स।
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की विभिन्न मदें।
5. प्रशिक्षण सामग्री (पावर पॉइंट में प्रस्तुति सहित)।
6. बेतन पर्चियाँ और बेतन-पत्रक।
7. नये खाताधारियों को जारी किया जाने वाला स्वागत-पत्र।
8. नये खाता-धारियों का परिचय देने वालों को जारी किया जाने वाला धन्यवाद-पत्र।
9. पास-बुकों में प्रविष्टियाँ।
10. ग्राहकों को खाता विवरण देना।
11. विभिन्न बिलों और भत्तों के भुगतान से संबंधित कार्य।
12. बैठकों से संबंधित सूचनाएं, कार्य-सूची और कार्य-विवरण।
13. स्थापना और स्टाफ़ से संबंधित सभी कार्य।
14. समूह बीमा से संबंधित सूचनाएं।
15. नीति संबंधी दिशा-निर्देश।
16. सभी प्रकार की प्रचार-सामग्री।
17. आवधिक रिपोर्टें।
18. विवरणी।
19. शाखा बैंकिंग।
20. ऋण-वसूली के लिए अनुस्मारक।
21. भविष्य निधि और पेंशन का ब्यौरा।
22. ऋण-मंजूरी संबंधी सूचनाएं।
23. बैंक चेक और ड्राफ्ट।
24. भुगतान आदेश/जमा आदेश।
25. सावधि जमा रसीदें।
26. जमा-राशियों की परिपक्वता संबंधी सूचनाएं।
27. चेक-लिस्ट तैयार करना।
28. ग्राहकों के साथ शाखा अधिकारियों की बैठकों से संबंधित सभी लिखित कार्य।
29. डिमांड ड्राफ्ट।
30. चेक वापसी का मेमो।
31. वेबसाईटों पर हिंदी में अधिक से अधिक साम्रगी।
32. इंटरनेट पर और कॉरपोरेट ई-मेल के माध्यम से हिंदी (देवनागरी) में ई-मेल संदेशों का आदान-प्रदान।
33. ऋण-मंज़ूरी की प्रक्रिया से संबंधित नोट।

गतिविधियाँ

सी.बी.आर.टी., चंडीगढ़ में रिकवरी मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम में बैंक के मुख्य महाप्रबंधक, श्री जी. एस. सचदेवा सहभागियों को संबोधित करते हुए।

आंचलिक कार्यालय चंडीगढ़ का राजभाषा कार्यान्वियन संबंधी निरीक्षण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक, डॉ. रमाकांत गुप्ता।

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित बैंकिंग शब्दावली प्रतियोगिता।

हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रश्न-मंच प्रतियोगिता।

अविमुक्त नगरी - काशी

ख़ाक भी जहाँ की पारस है वो शहर बनारस है।

डॉ. नीरू पाठक

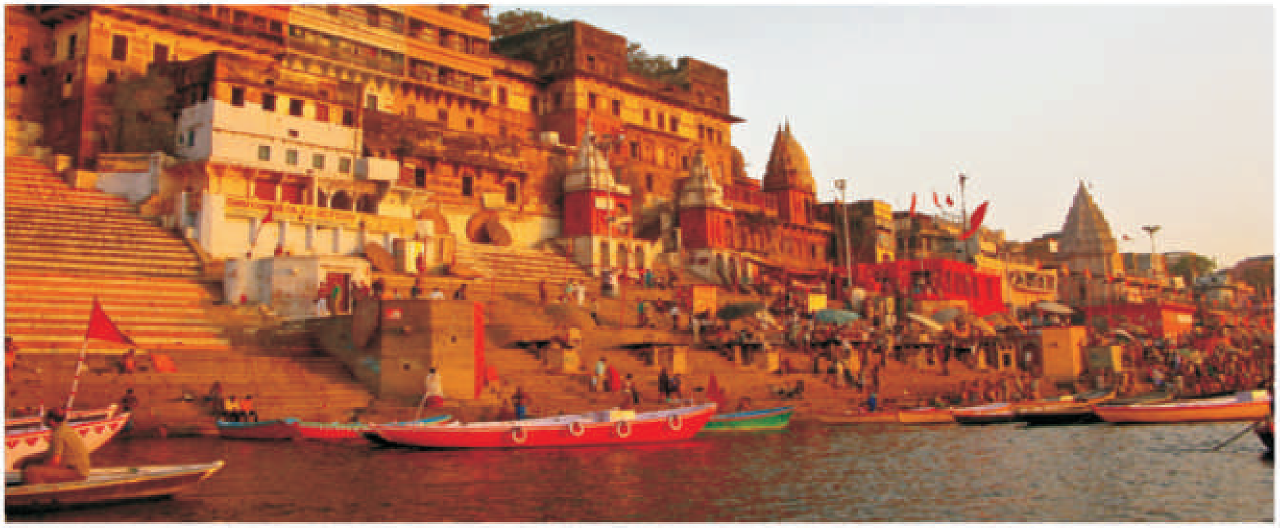

शहर के एक छोर से वरुणा नदी का सतत् जल प्रवाह और दूसरी ओर असी नदी तथा बीच में एक के बाद एक अनेक घाट, इन सबके मिलान से ही बनी वरुणा + असी = वाराणसी, जो समय के साथ बनते विगड़ते बना बनारस। हिंदुओं के सात पवित्र नगरों में से एक वाराणसी का पुरातन नाम काशी है। वाराणसी का वर्णन पुराणों तथा अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। वेदों में भी काशी नगरी की महानता दर्शायी गई है। इसकी प्राचीनता की तुलना विश्व के प्राचीनतम नगरों जैसे एथेंस तथा येरूशलम से की जाती है। कहा जाता है कि सृष्टि निर्माण के प्रारंभिक चरण में काशी का निर्माण हुआ तथा भगवान शिव ने काशी को अपना स्थाई निवास बनाया।

हिंदुओं के लगभग 15000 वर्ष प्राचीन व पवित्र तीर्थ के अवशेषों से पता चलता है कि वाराणसी एक अत्यंत समृद्धशाली और महत्वपूर्ण राज्य था। पुराणों के अनुसार चन्द्रवंश के क्षत्रवृद्ध नाम के राजा ने काशी राज्य की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध के समय काशी, श्रावस्ती तथा कौशाम्बी के समान ही बड़ा नगर था। मध्य युग में यह कन्नौज़ राज्य का अंग था तथा धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र था किंतु समय के उतार-चढ़ाव का साक्षी है यह शहर। सन् 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और मंदिर को क्षति पहुँचाई। सन् 1236 में शर्की राजाओं ने मंदिर को तुड़वाया। सन् 1490 में सिकंदर लोदी ने मंदिर को क्षति पहुँचायी। मुगल काल में इसका नाम मुहम्मदाबाद रखा गया तथा उस समय तक बहुत से मंदिरों को विध्वंस कर मस्जिद में तबदील कर दिया गया था। सन् 1669 में औरंगज़ेब ने मंदिर को तुड़वाया, किंतु बक्सर की लड़ाई में प्रभु नारायण सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने वाराणसी को अवध राज्य के नियंत्रण से छुड़ा लिया और उन्हें वाराणसी का शासक घोषित किया। यह शहर प्रथम ज्योतिर्लिंग का शहर है जिसे ब्रह्मांड का केन्द्र भी कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह ने ढाई मन सोने से मंदिर के बुर्ज को मढ़वाया तथा रानी अहिल्याबाई ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् सन् 1950 में काशी राज्य स्वेच्छा से भारतीय गणराज्य का अभिन्न भाग बना।

भारत के हिंदुओं के अतिरिक्त जैन तथा बौद्धों के लिए भी वाराणसी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहस्त्र वर्षों से वाराणसी सहित इन पाँच नामों से जानी जाती है - काशी, अविमुक्त, आनन्दकानन तथा महाशमशान। काशी शब्द काश् धातु से बना है जिसका अर्थ है - ज्योतिर्मय करना अर्थात् निर्वाण पथ को प्रकाशित करना। भौगोलिक आधार पर संपूर्ण पृथ्वी नौ खंडों में विभाजित है, किंतु काशी को पृथ्वी का दसवाँ खंड कहा जाता है यहाँ गंगा नदी अर्धवृत्ताकार रूप में वर्ष भर सतत् उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि काशी, भगवान शंकर के शीश पर अर्धचन्द्राकार रूप में विराजित है। वाराणसी के लोगों के अनुसार काशी के कण-कण में भगवान शिवशंकर हैं। यदि गंगा जी में

नौकायन करते हुए काशी के घाटों पर नज़र जाए तो अर्धचन्द्राकर रूप में बसे बनारस का अलौकिक दृश्य हृदय को छू लेता है। पौराणिक गाथाएँ यहाँ मूर्तवान होकर विराजती हैं। मणिकर्णिका घाट राजा हरीशचन्द्र के सत्यावादी प्रण का मूक साक्षी है। काशी को महा श्मशान भी कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट पर हजारों वर्षों से चिता की अग्नि शांत नहीं हुई है। राजा कृष्णदेव द्वारा बनाया विजयनगरम् घाट वहाँ की स्थापत्य शैली का वर्णन करता है। विद्या की इस पुरातन नगरी ने सदियों से विभिन्न आचार्यों, धर्मगुरुओं, समाज सुधारकों, राजाओं, शिव-भक्तों तथा विद्वज्जनों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भगवान बुद्ध, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, संत कबीर, रैदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी योगानन्द आदि अनेक संत इस शिव नगरी में आए और काशी ने ऐसी अमिट छाप उनके हृदय पर छोड़ी कि उन्होंने यहाँ अपने लिए स्थाई घाट का निर्माण करवाया। वाराणसी ऐसी अलौकिक किस प्रकार हुई इसका सीधा सा उत्तर है कि यहाँ भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ रूप में विराजते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि वाराणसी क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण की स्थिति, पृथ्वी के अन्य क्षेत्र से भिन्न है। संध्या समय भिन्न-भिन्न घाटों पर होने वाली माँ गंगा की आरती तथा हर-हर महादेव से गुंजायमान नभ एवं शंख ध्वनि ऐसा विहंगम दृश्य उत्पन्न करता है जिससे शिव भक्त देहाध्यास से ऊपर उठकर शिव भक्ति में भाव-विभोर हो जाते हैं। इसीलिए तो काशी को आनंद कानन कहा जाता है। काशी केवल घाटों की ही नगरी नहीं बल्कि यहाँ घर-घर में मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध हैं। विश्वनाथ मंदिर का महत्व सर्वाधिक है। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा इतिहास के अज्ञात युग से चली आ रही है। काशी की एक संकरी गली में प्रवेश करने पर प्राचीन मंदिर के दर्शन होते हैं। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित नवीन विश्वनाथ का मंदिर है। यह मंदिर सफेद संगमरमर से बनवाया हुआ है। इस मंदिर की दूसरी मंजिल पर शिवलिंग स्थापित है जो भक्तों द्वारा अर्पित पुष्पमालाओं और दीपशिखाओं से सदैव सज़ा रहता है। इसके अलावा स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा बनवाया गया विश्वनाथ मंदिर भी भव्य एवं दर्शनीय है। विश्वनाथ मंदिर के अतिरिक्त काल भैरव मंदिर, केदारेश्वर नाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकटमोचन मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर आदि प्रमुख मंदिर काशी की शोभा बढ़ा रहे हैं।

वाराणसी को सर्व विद्या की राजधानी भी कहा जाता है। यह भारतीय कला और संस्कृति का अनूठा संग्रहालय है जो संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटककला, के लिए तो प्रसिद्ध है ही इसके साथ अपने खुद के नृत्य परंपराओं व लोक संगीत के क्षेत्र में भी अद्वितीय है।

सुमधुर ठुमरी, भारतीय कंठ संगीत को वाराणसी की विशेष देन है। संगीत, नृत्य के अतिरिक्त हस्तशिल्प, रेशम तथा ज़री का उद्योग, रेल इंजन निर्माण ईकाई वाराणसी को विशेषता प्रदान करती है। सन् 1904 में पंडित मदनमोहन मालवीय ने काशी में प्रथम हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस नगरी ने हिंदी तथा उर्दू के अनेक साहित्यकारों को भी जन्म दिया है। भारतेंदू हरीशचन्द्र, जयशंकरप्रसाद, प्रेमचंद, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डॉ. संपूर्णानंद सरीखे साहित्यकार तथा शेख हाजी जी, आगा हश्र कश्मीरी जैसे शायर काशी की ही देन है।

काशी अपने कुटीर उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। रेशम तथा ज़री के वस्त्रों के लिए यहाँ के बुनकर विश्व-विख्यात हैं। विदेशी व्यापार में इसकी विशेष भूमिका है। लकड़ी के खिलौने तथा पीतल के बर्तनों पर मनोहारी काम के लिए भी वाराणसी विख्यात है। बनारस का नाम आए और मुँह का स्वाद न बदले - ऐसा नहीं हो सकता। पान खाने वालों के मुँह में तो बनारस के नाम से ही पानी आ जाता है। शायद यही कारण है कि बनारसी पान की मिठास यहाँ के जनजीवन में भी है। यहाँ की बोली मधुर तथा गरीब व्यक्ति भी अपने आप में संतुष्ट है। चना-चबेना, गंगाजल, काशी के जन के लिए उल्लासमय जीवन बिताने के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। यहाँ का भ्रमण करने पर आपको स्वयं ज्ञात होगा कि बाबू शब्द का प्रयोग यहाँ अपने पराए सभी के लिए कितनी मधुरता से किया जाता है। इस स्थान का कुछ ऐसा प्रभाव है कि दूरस्थ देश-विदेश से भी लोग यहाँ महा-निर्वाण के लिए आते हैं। वस्तुतः विश्वनाथ की काशी की महिमा अमिट है, अपरम्पार है।

-प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

पी.एस.बी. ग्रामीण एवं रोज़गार आयोजित विभिन्न

प्रशिक्षण संस्थान, मोगा द्वारा ऋण-शिविर

नारी का बदलता स्वरूप

अरविन्दर कौर

।। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।।

अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। भारतवर्ष में कहने को नारी को शक्ति और देवी का स्थान दिया जाता है पर वास्तव में प्रत्येक काल में उसकी दशा शोचनीय ही रही है। हो सकता है कि वैदिक काल में नारी को भी स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया गया हो, किंतु समय के साथ उसका मान निरंतर घटता ही गया। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि जब मनुष्य गिरोह बनाकर पहाड़ों की कंदराओं में तथा जंगलों में निवास करता था। तब गिरोह की मुखिया नारी ही हुआ करती थी, पर जब से कथित सभ्यता का विकास हुआ तब से नारी को भोग-विलास तथा एक वस्तु के समान चित्रित किया गया ऐसा केवल हमारे देश में ही नहीं हुआ बल्कि विश्व के इतिहास और सम-कालीन साहित्य पर दृष्टि डालें, तो सभी स्थानों पर स्थिति में थोड़ा ही अंतर है।

भारत का प्राचीन इतिहास देखें, तो कुछ ही नारियों के नाम प्राप्त होते हैं जिन्होंने वेद की ऋचाओं का अध्ययन किया तथा पुरुषों के समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त किया, पर बाद में तो दशा बद से बदतर हो गई। मध्यकाल में तो वह मात्र दासी और पुरुष की चल संपत्ति बनकर रह गई। किंतु समय ने फिर करवट ली और समय की गति के साथ भारत की नारी की दशा में भी परिवर्तन आया है।

वास्तव में नारी स्वतंत्रता तथा पुरुषों के समान समानाधिकार के लिए आन्दोलन पहले पश्चिमी देशों में चले। वहाँ की जागरूक महिलाओं ने वर्षों तक संघर्ष कर समानता तथा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त किया। ब्रिटिश राज के समय भारत में नारी शिक्षा का आरंभ हुआ।

आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज, थियोसोफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं के प्रयत्न से, सती प्रथा, बाल-विवाह तथा अशिक्षा जैसी सामाजिक कुरीतियों का अंत हुआ तथा भारत में भी नारी शिक्षा का शुभारंभ हुआ। पहले पाठशाला तथा फिर केवल नारियों के लिए स्कूल-कॉलेज तथा उसके पश्चात् सह-शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा से धीरे-धीरे आत्मविश्वास जागा। शिक्षा प्राप्ति के बाद प्रशिक्षण संस्थानों में भी जाना प्रारंभ किया। पहले-पहल नर्स और अध्यापिका के कर्मक्षेत्र में प्रवेश किया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तक घर से बाहर नारियों का संसार बस यहीं तक सीमित रहा। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार-प्रसार बढ़ता गया, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी नारी प्रवेश करती गई। स्वभाव, विचार, अभिव्यक्ति, क्रियाशील सभी स्तरों पर नारी का विकास होता गया तथा आधुनिक समय का रंग नारी पर चढ़ता गया।

आधुनिक भारतीय नारी नर्स और अध्यापिका के अतिरिक्त डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, राजनेता, अभिनेता, शासक-प्रशासक, व्यापारी, पॉयलट, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी क्या नहीं है?सब कुछ है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है

चाहे घर हो या बाहर। जहाँ नारी की पैठ न हो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। स्कूटर, कार चलाना, हवाई-जहाज तक उड़ाना। पुलिस में उच्च अधिकारी तो है ही, सेनाओं में जाकर भी अपनी प्रतिभा और कार्य शक्ति का परिचय दिया है वह पुरुष समाज से प्रतिद्वन्द्विता तो सफलता पूर्वक कर ही रही है बल्कि उससे आगे भी बढ़ जाने की दिशा में प्रयासरत है।

समाज सेवा के क्षेत्र में भी नारी पीछे नहीं। राजनीति में तो गांधी युग से ही भाग लेती आ रही है या यूँ कहें कि स्वतंत्रता संग्राम में भी नारी ने सक्रिय भूमिका निभाई है। वीर शिवाजी की माँ जीजाबाई, चाँद बीबी और रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो बच्चा-बच्चा जानता है। क्रांति की राह पर मिटकर राष्ट्र की स्वतंत्रता की नींव को रखने वाली और भी कई नारियाँ हुई हैं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली आदि वे नारियाँ है जिनके नाम राष्ट्र निर्माण में जाने जाते हैं। इसी प्रकार श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर का नाम भी उल्लेखनीय है राजनीति क्षेत्र के साथ साहित्य के क्षेत्र में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम उल्लेखनीय है। साहित्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा से नए आयाम हासिल करने वाली श्रीमती महादेवी वर्मा का नाम भी कम उल्लेखनीय नहीं है।

इन सबके अतिरिक्त एक साधारण नारी जो एक श्रमिक के रूप में कल-कारखानों में या अन्य श्रमसाध्य कार्यों में रात-दिन खट ही रही हैं वो बाँध, विद्यालय, अस्पताल और भी अन्य प्रोजेक्ट में एक-एक ईंट जोड़ निर्माण कार्य में जुटी है। बड़े-बड़े भवनों के निर्माण, सड़कों के निर्माण और मरम्मत, जंगलों में रेल की पटरियाँ बिछाने में, अपने दूध मुँहे बच्चे को पेड़ की छाँव में लिटा, निरन्तर श्रमसाध्य काम करना, कौन कहेगा यह कार्य किसी इंजीनियर आदि से भी श्रेयष्कर, महत्वपूर्ण एवं उच्चकोटि का नहीं है। आज की नारी साहित्य, संगीत, ललित कला एंव संस्कृति विकास के विविध कार्यों में भी पुरुषों से कहीं अधिक बढ़-चढ़ कर भाग ले रही है। लेकिन कहीं-कहीं इसमें विसंगति भी है आधुनिकता के रंग में रंगी नारी फैशन परस्ती और पाश्चात्य समाज से कुछ इस प्रकार प्रभावित हुई है कि स्वतंत्रता, स्वच्छन्दता में परिवर्तित हो गई है। मुहावरेदार भाषा में कहा जाए तो आज नारी की स्थिति "आधा तीतर आधा बटेर" ही हो गई है। नारी पुराने को पूरी तरह छोड़ नहीं पाई तथा आधुनिक को अपना नहीं पा रही। लेकिन पूर्णता शायद इसी में है कि घर परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाने में नारी सक्षम है।

- मुख्य महाप्रबंधक सचिवालय, नई दिल्ली

राहगीर राहों का

वीणा मरण्डी

राहगीर हूँ राहों का
मंज़िल का नहीं पता
चली जिस रास्ते पर
राहों का नहीं पता।

चलते-चलते रास्ते में
एक आँधी थी या हवा का झोंका
जहाँ मुझे लेकर गयी
वहाँ फूलों का नहीं पता।

मैंने सोचा शायद यही मंज़िल है
जिसमें कलियों का नहीं पता
इस उजड़े चमन में
भवरों का नहीं पता

चली जो आगे का रास्ता ढूँढ़ने
चुभा काटों का गुच्छा
उस उजड़े चमन में
रास्तों का नहीं पता

तभी मन में ख़्याल आया
हाँ, मैं भी हूँ राहगीर
पर किया क्यों नहीं
मंज़िल का पता

मुझे भी तो पता था
किस रास्ते हैं
फूल या काटों का चमन
चली अपनी मंज़िल को
पर रास्ते का नहीं पता

खोना है इसी ज़िंदगी में
यही राहगीर की है सज़ा
चली अपनी ज़िंदगी जीने में
ढूँढ लूँगी मंजिल अपनी
जानती हूँ जीवन को जीने की कला।

अनुपालन विभाग,

हिंदी कार्यशालाएँ

आंचलिक कार्यालय, भोपाल

आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़

आंचलिक कार्यालय, जालंधर

आंचलिक कार्यालय, कोलकाता

आंचलिक कार्यालय, अमृतसर

आंचलिक कार्यालय, बठिंडा

हिंदी कार्यशालाएँ »

आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़

आंचलिक कार्यालय, नारायणा

आंचलिक कार्यालय, बरेली

आंचलिक कार्यालय, गुरदासपुर

आंचलिक कार्यालय, हरियाणा

आंचलिक कार्यालय, अमृतसर

राजभाषा समाचार

डॉ. वेद प्रकाश दूबे, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), वित्त मंत्रालय, बैंक पत्रिका पी.एस.बी. 'राजभाषा अंकुर' का विमोचन करते हुए। चित्र में डॉ. दूबे व बैंक के उच्चाधिकारी परिलक्षित हैं।

नराकास लुधियाना द्वारा आयोजित समारोह में श्री हरबंस लाल, उप महाप्रबंधक का स्वागत करते हुए सरदार परमजीत सिंह बेवली, अधिकारी

नराकास, जालंधर में बैंक के अधिकारी श्री प्रदीप कुमार पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

सी.बी.आर.टी. चंडीगढ़ में रिकवरी मैनेजमेंट कार्यक्रम के बारे में मुख्य महाप्रबंधक श्री जी. एस. सचदेवा सहभागियों को संबोधित करते हुए।

राजभाषा समाचार

वित्त मंत्रालय : वित्तीय सेवाएं विभाग के निर्देशानुसार ''मस्तिष्क मंथन'' तथा ''राजभाषा प्रयोग - आपसी संवाद - सार्थक दिशा'' के विशेष सत्र।

सी.बी.आर.टी. चंडीगढ़

आंचलिक कार्यालय, लुधियाना

आंचलिक कार्यालय, हरियाणा

आंचलिक कार्यालय, बरेली

आंचलिक कार्यालय, लुधियाना

आंचलिक कार्यालय, भोपाल

स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़

बैंक हाउस में आयोजित हिंदी दिवस समारोह की झलकियाँ

उच्चाधिकारियों का स्वागत एवं दीप प्रज्ज्वलन

उच्चाधिकारियों के आशीर्वचन एवं हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण

बैंक के विभिन्न आंचलिक कार्यालयों में आयोजित

स्थानीय प्रधान कार्यालय, चंडीगढ़

आंचलिक कार्यालय, अमृतसर

आंचलिक कार्यालय, लुधियाना

आंचलिक कार्यालय, पटियाला

आंचलिक कार्यालय, जालंधर

आंचलिक कार्यालय, गुरदासपुर

हिंदी दिवस समारोह की झलकियाँ

आंचलिक कार्यालय, हरियाणा

आंचलिक कार्यालय, भोपाल

आंचलिक कार्यालय, बरेली

आंचलिक कार्यालय, गुरदासपुर

आंचलिक कार्यालय, बठिंडा

सी.बी.आर.टी., चंडीगढ़

सुरक्षित बैंकिंग के लिए सुरक्षित वेबसाइट ब्राउजिंग और उपाय

ओम प्रकाश प्रजापति

एक साइट, वेबसाइट या वेब साइट, विभिन्न वेब पृष्ठों का एक केंद्रीय स्थान है जो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ब्राउज़र का उपयोग करके होम पेज पर जाकर प्रवेश किया जा सकता हैं। उदाहरण के लिए https://www.psbindia.com

एक वेबसाइट कम से कम एक वेब सर्वर पर होस्ट होती है जो एक नेटवर्क के माध्यम से जैसे इंटरनेट या एक इंटरनेट पता जैसे कि एक यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर के रूप में एक निजी लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस होती है। सभी सार्वजनिक रूप से सुलभ वेबसाइटों के सामूहिक रूप से वर्ल्ड वाइड वेब का गठन होता है।

एक वेबपेज आमतौर पर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML, NHTML) के स्वरूपण निर्देश के साथ Interspersed सादे पाठ में लिखा एक दस्तावेज़ है। एक वेबपेज उपयुक्त मार्कअप एंकर के साथ अन्य वेबसाइटों से तत्वों को शामिल कर सकते हैं।

पहली वेब साइट टिम बर्नर्स ली द्वारा CERN सर्न में बनाई गई थी और 6 अगस्त 1991 को ऑनलाइन शुरु की गई थी।

वेबसाइट के प्रकार :

स्टेटिक वेबसाइट : स्टेटिक वेबसाइट एक ऐसी स्थिर वेबसाइट है जिसके वेब पृष्ठ सर्वर पर उसी रूप में संग्रहीत होते है जो एक ग्राहक वेब ब्राउज़र को भेजे जाते हैं। यह मुख्य रूप से हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (HTML) में कोडिड होते हैं।

गतिशील वेबसाइट : एक गतिशील वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जो स्वतः ही अकसर परिवर्तित या कस्टमाइज होती है। सॉफ्टवेयर सिस्टम, की एक विस्तृत श्रृंखला है जैसे सीजीआई, जावा सर्वलेटस और जावा सर्वर पेज (JSP), गतिशील सर्वर पेजिज जो गतिशील वेब सिस्टम और गतिशील साइटों को जनरेट करने के लिए उपलब्ध है।

सुरक्षित ब्राउज़िंग टिप्स :

एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जो वेब पृष्ठों को ढूंढता और प्रदर्शित करता है। यह आपके कंप्यूटर और वेब सर्वर के बीच कम्यूनिकेशन संचार करता है।

जब आप अपना ब्राउज़र खोलते हैं और एक वेबसाइट के लिए एक वेब पता (यूआरएल) लिखते हैं, तो ब्राउज़र सर्वर या सर्वरों को एक अनुरोध प्रस्तुत करता है, कि उस पेज के लिए साम्रगी उपलब्ध कराएं।

ब्राउज़रों के प्रकार :

यहां कई अलग-अलग ब्राउज़र हैं। अधिकांश प्रयोगकर्ता ग्राफिक्ल ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं जो टैक्सट और ग्राफिक्स दोनों और ध्वनि या वीडियो क्लिप के रूप में मल्टीमीडिया तत्वों को भी प्रदर्शित करते हैं।

निम्नलिखित कुछ प्रसिद्ध ब्राउज़र हैं :

- इंटरनेट एक्सप्लोरर
- फ़ायरफ़ॉक्स
- एओएल
- ओपेरा
- सफारी

2. एक ब्राउज़र चुनें :

एक ब्राउज़र आमतौर पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉलेशन में ही शामिल है, लेकिन आप उस चुनाव तक ही सीमित नहीं हैं। आपकी आवश्यकताओं के अनुसार कौन सा ब्राउज़र अच्छी तरह से सूट करता है, कुछ कारकों पर विचार करें।

- अनुकूलता
- सुरक्षा
- उपयोग में आसानी
- कार्यक्षमता

3. वेब ब्राउज़र के परिणाम :

- अभियोजन - जब आप अवैध रूप से डाउनलोड, रिप्रोडयूस या जानकारी वितरित करते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का खतरा होगा।
- संक्रमण - हमलावर उन साइटों या नेटवर्क का लाभ ले सकते हैं जो फाइलों में कोड सहित अनधिकृत रूप से डाउनलोड (संगीत, सिनेमा, सॉफ्टवेयर आदि) को प्रस्तुत करते हैं जो एक बार में ही आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर देंगे।

4. ब्राउज़र पर प्रमाण - पत्र की जांच :

इंटरनेट एक्सप्लोरर या फ़ायरफ़ॉक्स में एक वेब साइट के प्रमाण-पत्र को सत्यापित करने का मुख्य तरीका है पैडलॉक आइकन पर क्लिक करें। आप प्रमाण-पत्र के बारे में जानकारी के साथ निम्न सहित एक डायलॉग बॉक्स पाएंगे :

- जो प्रमाण-पत्र जारी करता है।
- प्रमाण-पत्र किसको जारी किया गया है।
- समय समाप्ति तिथि।

5. ब्राउज़र पर कुकीज़

जब आप इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर के बारे में जानकारी एकत्र और संग्रहीत की जा सकती है। यह जानकारी आपके कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी हो सकती है (जैसे आईपी एड्रेस, डोमेन जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हो उदाहरण के लिए (.Edu, .com, .net)

कुकीज़ समय की बदलती लंबाई के लिए बचाया जा सकता है :

- सैशन कुकीज़
- पर्सिसटैंट कुकीज़

7. वेब ब्राउज़र की सुरक्षा सेटिंग्स

ब्राउज़र सुरक्षा : हालांकि इंटरनेट ब्राउज़र में इनबिल्ट सुरक्षा है जब आप ऑनलाइन होते हैं, छोटी इंटरनेट फ़ाइलें आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाती हैं। कुछ फ़ाइलें सुरक्षात्मक खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। निम्नलिखित कार्रवाई करके अपनी सुरक्षा बढ़ायें :

- प्रत्येक सत्र के बाद अपने ब्राउज़र के कैश और इतिहास को मिटा दें ताकि आपके खाते की जानकारी हट जाये, विशेषकर जब आप एक सांझे कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हों।
- 128 बिट एन्क्रिप्शन समर्थित इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करें।
- यदि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग करते हैं, तो ऑटो कंप्लीट को निम्न अनुसार डिसेबल करके ब्राउज़र को पासवर्ड याद नहीं करने के लिए कॉन्फ़िगर करें :

1. अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर लांच करें और ''उपकरण'' पर इंटरनेट ऑप्शंस'' ''कंटेंट'' पर क्लिक करें।
2. ''पर्सनल इनफोरमेशन'' के अंतर्गत, ''ऑटो कंप्लीट'' पर क्लिक करें।
3. ''यूजर्स नेमस एंड पासवर्ड ऑन फार्मस'' को अनचैक करें और ''क्लियर पासवर्ड'' पर क्लिक करें।
4. ''ओके'' पर क्लिक करें।

8. ब्राउज़र पर कुछ सुरक्षा संबंद्ध :

फ़िशिंग हमलों को आरंभ करने के लिए हमलावर अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नाम का लाभ उठाने में सक्षम हो सकते हैं, एक हमलावर एक वेब पेज URL को ''स्पूफ'' करने में सक्षम हो सकता है। यदि आप दुर्भावनापूर्ण साइट पर निजी या वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करते हैं, तो हमलावर उस जानकारी को इकट्ठा करके और फिर प्रयोग कर सकता है और/या बेच सकता है।

- एक लिंक को फोलो करने की बजाय URL टाइप करें - एक वेब पेज या ई-मेल संदेश में एक लिंक पर क्लिक करने की बजाय एक ब्राउज़र में URL टाइप करके आप अपने जोखिम को कम कर सकेंगे।
- अपना ब्राउज़र अपडेट रखें : ब्राउज़रों के पुराने संस्करण हमलावरों को URL को ''स्पूफ'' करने के कार्य को आसान बना देते हैं, लेकिन बहुत से नए ब्राउज़र कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- अपने ब्राउज़र की स्टेटस बार की जाँच करें : यदि आप एक वेब पेज पर एक लिंक पर अपना माउस ले जाते हैं, आपके ब्राउज़र ही स्टेटस बार आमतौर पर लिंक संदर्भित करने का URL प्रदर्शित करता है।
- ऑन-लाइन क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्रस्तुत करने से बचें।
- निजी जानकारी का जोखिम सीमित करने के विकल्प का लाभ लें : कुछ वेबसाइटों पर सुविधा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए, डिफ़ॉल्ट विकल्प चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए एक वेबसाइट को आपका पासवर्ड याद करने की अनुमति देने से बचें। यदि आपका पासवर्ड संग्रहीत है, तो कोई हमलावर आपके प्रोफाइल और खाते की जानकारी का आसानी से लाभ उठा सकता है।

सुरक्षित बैंकिंग के लिए टिप्स :

- फ़िशिंग हमले से खबरदार।
- फिशिंग घोटालेबाजों द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक ऐसी तकनीक है जिसमें ई-मेल भेज कर अवैध रूप से व्यक्तिगत जानकारी जैसे - इंटरनेट बैंकिंग, यूज़र आईडी और पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और एटीएम पिन आदि की पहचान की जाती है।

फ़िशिंग हमलों के प्रकार :

क) ई-मेल आधारित फ़िशिंग हमले :

जहां लाखों ई-मेल बेतरतीब ढंग से वितरित की जाती हैं। ई-मेल में आमतौर पर हाइपरलिंक शामिल हैं जो प्रायः कोड की जाती है ताकि हाइपरलिंक का डेस्टीनेशन प्राप्तकर्ता को स्पष्ट नहीं हैं। एक बार जब प्राप्तकर्ता हाइपरलिंक पर क्लिक करता है तो वह स्पूफड वेबसाइट पर पहुंच जाता है जो कि बैंक की एक वेबसाइट की एक प्रति है प्राप्तकर्ता को इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आई.डी. और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा जाता है।

ख) मैलवेयर आधारित फ़िशिंग हमले :

जब ट्रोजन (मैलवेयर) का एक टुकड़ा प्रयोगकर्ता के कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउज़र सॉफ्टवेयर में लोड किया जाता है। ट्रोजन कई क्षमताओं वाला हो सकता है। प्रयोगकर्ता एक बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट तक पहुँचाता है और फिर या तो बाद की चाबियाँ लॉग या एक स्क्रीन छवि लेता है जब आम तौर पर यह दिखाता है।

ग) समीशिंग

समीशिंग एसएमएस फिशिंग का संक्षिप्त रूप है। समीशिंग फ़िशिंग ई-मेल हमले का एक संस्करण है जो लघु संदेश सेवा (एसएमएस) का इस्तेमाल करता है। समीशिंग हमले एक वेबसाइट या एक फोन नंबर पर कॉल करने के लिए फर्जी संदेश भेजते हैं जिस पर यूजर आईडी, पासवर्ड, एटीएम पिन, या सीवीवी आदि के माध्यम से संवेदनशील जानकारी प्रदान करते हैं।

घ) विशिंग

यह टेलीफोन फिशिंग के बराबर है। विशिंग, टेलीफोन का उपयोग करके विक्टिम को बेवकूफ बनाने की एक (जैसे-यूज़र आईडी, पासवर्ड, एटीएम पिन या सीवीवी आदि) कोशिश है।

ऑन-लाइन सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश :

ऑन'लाइन बैंकिंग करते समय सुरक्षित कंप्यूटिंग प्रथाओं पर टिप्स

- किसी के साथ अपने विवरण साझा न करें।
- अपने बचत खाते की नियमित जाँच रखें।
- हमेशा लाइसेंसड एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें।
- जब प्रयोग में नहीं है इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करें।
- हमेशा यूआरएल और सुरक्षा प्रमाण-पत्र की जांच करें।
- आप ऑन-लाइन बैंकिंग में साइन इन करने के बाद अपने कंप्यूटर को खुला न छोड़ें।
- कृपया यह न करें :

1. पासवर्ड में कभी भी अपना नाम या एक करीबी रिश्तेदार के नाम का प्रयोग न करें।
2. अपनी जन्म-तिथि, अपना बैंक खाता नंबर या बैंक कार्ड संख्या, टेलीफोन नंबर या पते का प्रयोग न करें।
3. अपने व्यक्तिगत सत्यापन सवाल किसी के साथ साझा न करें।

- प्र.का. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
नई दिल्ली

''राजभाषा प्रयोग - आपसी संवाद - सार्थक दिशा''
के अंतर्गत प्र.का. राजभाषा विभाग द्वारा उच्चाधिकारियों के लिए आयोजित राजभाषा संगोष्ठी

੧ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन ध्येय है

अपने जश्न को करें दुगना

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

फेस्टिवल बोनान्ज़ा

आवास, ऑटो और उपभोक्ता ऋण के लिए

ब्याज केवल प्रतिदिन शेष राशि पर

कोई अग्रिम ईएमआई नहीं

आवास ऋण

न्यूनतम ईएमआई

₹ 896/- प्रति लाख

30 साल के लिए रू. 30 लाख तक की ऋण राशि

ऑटो लोन

न्यूनतम ईएमआई

₹ 1673/- प्रति लाख

(ऋण अवधि 7 वर्ष के लिए)

उपभोक्ता लोन

न्यूनतम ईएमआई **₹ 2275/-** प्रति लाख

(ऋण अवधि 5 वर्ष के लिए)

अधिक जानकारी के लिए नज़दीकी शाखा से सम्पर्क करें या कॉल करें **1800 419 8300** (टोल फ्री सम्पूर्ण भारत में)

हमारी वेबसाइट देखें www.psbindia.com

शर्तें लागू

प्रकृति की रक्षा, पृथ्वी की रक्षा